

Fifteenth Lok Sabha
VI Session (09/11/2010 to 13/12/2010)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 (शक)

संख्या 113

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौथी लोक सभा के सदस्य श्री एन.के. सोमानी; छठी लोक सभा के सदस्य श्री गंगा भक्त सिंह, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य श्री लालजी भाई; चौथी लोक सभा के सदस्य श्री शंकरराव माने; दूसरी लोक सभा के सदस्य श्री ओंकार लाल; और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री सिद्धार्थ शंकर रे के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने सुमात्रा के मेंटवाई द्वीपसमूह में आई सुनामी तथा इंडोनेशिया के जावा में स्थित माउंट मेरापी के फूटने से हुए जान-माल के नुकसान के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने 20 सितम्बर, 2010 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बदरवास स्टेशन पर एक मालगाड़ी और इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर के कारण 34 लोगों की मृत्यु और 160 से अधिक लोगों के घायल होने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में काकद्वीप के निकट हुगली नदी में एक ट्रॉलर उलटने के कारण लगभग 69 लोगों के डूब जाने की दुःखद घटना का भी उल्लेख किया।

उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में आए चक्रवात 'जल' के कारण लगभग 30 लोगों के मारे जाने तथा बड़े पैमाने पर संपत्ति की बरबादी के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1-3 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 4—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. महासचिव (श्री पी.डी.टी. आचारी) द्वारा पदत्याग तथा सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि लोक सभा के महासचिव श्री पी.डी.टी. आचारी ने 30 सितम्बर, 2010 को लोक सभा के महासचिव का पद त्याग दिया है।

अध्यक्ष ने यह भी सूचित कि उन्होंने श्री आचारी को उनके लम्बे और विशिष्ट सेवा रिकार्ड के सम्मान में, सभा के मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

6. महासचिव, लोक सभा की नियुक्ति

अध्यक्ष ने घोषणा की कि श्री टी.के. विश्वानाथन, पूर्व केन्द्रीय विधि सचिव और केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री के सलाहकार को 1 अक्टूबर, 2010 से लोक सभा का महासचिव नियुक्त किया गया है।

7. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 3 अक्टूबर, 2010 से 14 अक्टूबर, 2010 तक नई दिल्ली में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 का उल्लेख किया तथा इसमें भाग लेने वाले सभी 71 देशों की प्रशंसा की।

उन्होंने सभा की ओर से उन सभी पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बधाई दी जिन्होंने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ अप्रत्याशित रूप से 101 पदक जीतकर खेल के क्षेत्र में देश को गौरवान्वित किया है।

अपराहन 12.05 बजे

8. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत, झारखण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 11 सितम्बर, 2010 की उद्घोषणा, जो 11 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 750(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2010 को उनके द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) विनिर्दिष्ट खाद्यान्न पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (संशोधन) आदेश, 2010 जो 29 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2361(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (दो) गन्ना (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 7 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2452(अ)/आव/गन्ना में प्रकाशित हुआ था।
- (3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 27 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2095(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2284(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2010 जो 11 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2516(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (4) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-1995 से 2009-2010 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.06 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

सीमावर्ती राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख में बढ़ रही चीन की गतिविधियों के कारण उत्पन्न खतरे के बारे में।

श्री मुलायम सिंह यादव ने सीमावर्ती राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख में चीन की सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के बारे में निवेदन किया।

श्री पवन कुमार बंसल ने उत्तर दिया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 12.51 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 06 मिनट

(एक) #उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

एक साथ चर्चा की गई।

(दो) # संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयकों अर्थात् (एक) उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010 और (दो) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भक्त चरण दास
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डॉ० पुलीन बिहारी बासके
5. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
6. श्री तथागत सत्पथी
7. डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री पी० चिदम्बरम ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 10 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर, सभा में मत-विभाजन हुआ: पक्ष में 294; विपक्ष में शून्य।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

एक साथ चर्चा की गई।

खण्ड 2, को स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर, सभा में मत-विभाजन हुआ: पक्ष में 296; विपक्ष में शून्य।

खण्ड 2 सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ: पक्ष में 298; विपक्ष में शून्य।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ। विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

(लोक सभा अपराहन 1.57 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.01 बजे पुनःसमवेत हुई)

अपराहन 3.01 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्री पोन्नम प्रभाकर ने आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के गुडीहतूर गांव से प्रकाशम जिले के ओडा रेवू तक एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री हर्ष वर्धन ने सशस्त्र बलों के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों (कैंडेट्स) को आई०ए०एस०/आई०पी०एस० के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के समतुल्य वृत्तिका और अन्य सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री पी० टी० थॉमस ने इन्डोसल्फान नामक एक कीटनाशक जिससे देश में मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) डा० पी० एल० पुनिया ने देश के उपयुक्त और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से वित्तपोषित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- (5) श्री एस०एस० रामासुब्बू ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने झारखण्ड के बोकारो जिले में भारी उद्योगों के विकास के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) श्री गणेश सिंह ने मध्य प्रदेश में ताप बिजलीघरों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने तथा राज्य को केन्द्रीय पूल से विद्युत का आबंटन फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्रीमती जयश्रीबेन को० पटेल ने भारत-चीन सीमा पर चीन की बढ़ रही सैन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता रखे जाने तथा पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (9) श्री वीरेन्द्र कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न, किरासन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री रामकिशुन ने देश में नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और प्रयोग में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (11) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल पर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक विद्यालय भवन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (12) श्री विश्व मोहन कुमार ने बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जदिया में एक बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (13) श्री आर० थामराईसेलवन ने कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए कावेरी नदी जल प्राधिकरण की एक बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (14) श्री खगेन दास ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के हित में उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007 और परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के संबंध में मूल नीति के उपबन्धों को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- (15) श्री भर्तृहरि महताब ने देश में सेल्यूलर टेलीफोन टावरों से विकिरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (16) श्री देवेन्द्र नागपाल ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गजरौला-बिजनौर, गढ़-मेरठ और अमरोहा-अठरसी क्रॉसिंग पर ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (17) श्री ओम प्रकाश यादव ने बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घरौदा रेलवे स्टेशन पर छपरा-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (ट्रेन नं० 5105/5106) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (18) श्री जगदम्बिका पाल ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेवीगेशन (सिमरन) का क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (19) श्री पी० बलराम नाईक ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान सड़कों का उन्नयन और विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

*अपराहन 4.32 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 नवम्बर, 2010 के पूर्वार्ध 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

* अपराहन 3.29 बजे से अपराहन 4.32 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 नवम्बर, 2010/19 कार्तिक, 1932 (शक)

संख्या 114

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 22—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 27 जुलाई, 2010 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 12 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2010;
2. झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2010;
3. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010;
4. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010;
5. विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2010;
6. स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010;
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010;
8. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010;
9. नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010;
10. व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2010;
11. विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010; और
12. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 12 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010;
2. नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010;
3. प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010;
4. भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010;
5. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010;
6. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2010;

7. भारतीय आयुर्विज्ञन परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010;
8. झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010;
9. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2010;
10. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010;
11. परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010; और
12. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010;

4. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जांच समिति का प्रतिवेदन

महासचिव ने न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के नियम 9 और 10 के साथ पठित न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखे:-

- (एक) न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के संबंध में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत नियुक्त जांच समिति का प्रतिवेदन, खण्ड एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा खण्ड दो; और
- (दो) जांच समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों के साक्ष्य तथा जांच के दौरान प्रदर्शित दस्तावेज की एक-एक प्रति।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नवीन जिन्दल ने बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 147वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. तरुण मंडल ने जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में समिति का 47वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

डॉ. तरुण मंडल ने जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

* प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30 के अनुसार 29 अक्टूबर, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन० एस० वी० चित्तन द्वारा देश में विशेषकर तमिलनाडु के डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सूती धागा की कीमतों में कमी लाए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा केरल के कोचीन शहर में इडाप्पिल्ली, पालारिवत्तम, वित्तिला और कुंदन्नूर में यातायात चौराहों पर ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री कमल किशोर द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम्० के० राघवन द्वारा केरल में कालीकट तक ट्रेन सेवाओं को बढ़ाए जाने और वेस्ट हिल में पिट लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन घोषित किए जाने तथा स्टेशन के नजदीक रेलवे की खाली भूमि पर एक रेलवे चिकित्सा कॉलेज/अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री इज्यराज सिंह द्वारा विभिन्न अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची में राजस्थान के कोटा शहर को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा व्यापार और उद्योग को बढ़ाने तथा अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा व्यापार चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) कुमारि सरोज पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुडको रेलवे क्रासिंग पर एक रेल ऊपरिपुल/रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रमेन डेका द्वारा अरुणाचल प्रदेश की पारिस्थितिकी पर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सुबान्सिरि बांध के निर्माण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में खड़ी फसलों को वन्य जीवों से हो रहे खतरे को रोकने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 300 प्रहरियों की नियुक्ति का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री बाल कुमार पटेल द्वारा डोगिया और अहरोरा बांधों को जल उपलब्ध कराने के लिए सोन लिफ्ट कैनल का पूरी क्षमता से संचालन किए जाने तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के किसानों की सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाणसागर परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री पी० करुणाकरन द्वारा केरल के विशेषकर कासरगौड और होसदुर्ग के 'मराठी' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री अर्जुन चरण सेठी द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 पर कार्य के बेहतर समन्वयन और उसे शीघ्र शुरू किए जाने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना उड़ीसा के भुवनेश्वर में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री चंद्रकांत बी० खैरे द्वारा देश में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पी० कुमार द्वारा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रीरंगम रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने तथा एरिस्टो होटल रौताना से इडामलाईपट्टी पुडुर ओवरब्रिज के बीच एक रेल ऊपरिपुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और उसके आस-पास रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का समुचित पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री जोस के० मणि द्वारा केरल और देश के अन्य भागों में सीमेंट और इस्पात की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए एक विनियामक आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.04 बजे

(लोक सभा गुस्वार, 11 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 नवम्बर, 2010/20 कार्तिक, 1932 (शक)

संख्या 115

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा की बैठक रद्द किए जाने के बारे में माननीय उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार, 12 नवम्बर, 2010 के लिए नियत लोक सभा की बैठक रद्द कर दी गई है।”

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 15 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 15 नवम्बर, 2010/24 कार्तिक, 1932 (शक)

संख्या 116

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(दो) तारांकित प्रश्न संख्या 82—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(तीन) अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(चार) 12 नवम्बर, 2010 की कार्य-सूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 के उत्तर भी अतारांकित प्रश्न माने गए और वे उस दिन की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे क्योंकि उस दिन की सभा की बैठक रद्द हो गई थी।

(पांच) 12 नवम्बर, 2010 की कार्यसूची में सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर भी उस दिन के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (तमिलनाडु) आदेश, 2010 जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2399(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) इन्नोर पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 766(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (4) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई कार्यवाही ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन जो 23 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2010 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2010 जो 7 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 821(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 2258(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड को शास्तियां लगाकर अधिशेष अनधिकृत तम्बाकू खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (दो) सांकांनि 2259(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को शिथिल किया गया है।
- (10) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2010 जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2329(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2010 जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 704(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 22 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 776(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

- (12) छावनी बोर्डों के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 744(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) शिक्षु (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) शिक्षु (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

3. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी०सी० गद्दीगौदर ने 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 226वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री पी०सी० गद्दीगौदर ने 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. रबड़ बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के

* प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30 के द्वारा 30 सितम्बर, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था।

अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

7. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2010-2011

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2010-2011 के बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2008-2009

श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2008-2009 के लिए बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

(एक) बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2010

*(दो) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा विधेयक, 2010

अपराह्न 12.05 बजे

10. सरकारी विधेयक — वापस लिया गया

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

अपराह्न 12.06 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री महाबल मिश्रा द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इन विद्यालयों में डबल शिफ्ट सिस्टम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराह्न 12.06 बजे

- (2) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली में 31.3.2002 के बाद बनने वाली कालोनियों को नियमित करने के उद्देश्य से 16 जून, 2008 की राजपत्र अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डा० कृपारानी किल्ली द्वारा आन्ध्र प्रदेश में 'जल' चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के ओंगोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री के० सी० वेणुगोपाल द्वारा देश में मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नाशक जीवमार, एन्डोसल्फान के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिले के किसानों को पेयजल तथा सिंचाई के प्रयोजन हेतु नर्मदा बांध परियोजना से जल उपलब्ध कराए जाने तथा इस प्रयोजनार्थ धनराशि भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के जिन आवेदकों का चयन हज समिति द्वारा सउदी अरब की तीर्थयात्रा हेतु नहीं किया गया है, उनके लिए यात्रा के प्रबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में कोसी नदी के बहाव से उत्पन्न खतरे को विनियमित करने हेतु तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोरप्पूर, बोम्मिडी और धर्मापुरी रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.07

(लोक सभा मंगलवार, 16 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 नवम्बर, 2010/25 कार्तिक, 1932 (शक)

संख्या 117

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 101—120 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनसंघ सरकार (सिविल) (2010-11 का संख्यांक 19) वर्ष 2010-11 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुज्ञप्तियों के जारी किए जाने तथा 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-दानिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस-कम-डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस-कम-डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत कयर उद्योग (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2010 जो 4 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 810 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010, जो 4 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर कैडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010, जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 670(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वेटरीनरी कैडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010, जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 671(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2010, जो 19 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 685(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायोनियर कैडर समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010, जो 19 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 686(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसिलर कैडर समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010, जो 19 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 687(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (वाटर कैरियर) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010, जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (कुक) कांस्टेबल (वाशरमैन) और कांस्टेबल (बाबर) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2010, जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 692(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, टेलर, कॉबलर और गार्डनर कैडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 693(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 और असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 165 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल संयुक्त (दन्त शल्य चिकित्सक संवर्ग) भर्ती नियम, 2010, जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल संयुक्त (विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी संवर्ग) भर्ती नियम, 2010, जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 648(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल संयुक्त (परम विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी संवर्ग) भर्ती नियम, 2010, जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (22) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 165 की उपधारा (3) के अंतर्गत असम राइफल्स नियम, 2010 जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 701 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, सब-इंस्पेक्टर (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2010 जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 834(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, सब-इंस्पेक्टर (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2010, जो 25 जुलाई, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 834(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010, जो 31 जुलाई, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 120 में प्रकाशित हुए थे।
- (25) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 793(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 551(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) पादप किस्म और किसानों के अधिकार की सुरक्षा अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पादप किस्म संरक्षण अपील अधिकरण (प्रयोग और अपील) नियम, 2010 जो 21 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 549(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 8 जून 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का०आ० 963(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग (बिजनी-पश्चिम बंगाल सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है तथा विलम्ब संबंधी एक विवरण।

(दो) का०आ० 964(अ) जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालबारी-बिजनी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है तथा विलम्ब संबंधी एक विवरण।

(तीन) का०आ० 1498(अ) जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (कालका-शिमला खंड) (बाईपास चेनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का०आ० 1502(अ) जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22

(जिरकपुर-परवानू खंड) (बाईपास चेनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पांच) का०आ० 1998(अ) जो 13 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उप-मंडल अधिकारी (सिविल) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (छह) का०आ० 2410(अ) जो 4 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 1470(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 1623(अ) जो 8 जुलाई 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1806(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 1727(अ) से 1733(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 766(अ) और का० आ० 767(अ) जो 6 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का०आ० 1049(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तेरह) का०आ० 1448(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क(जालंधर-पठानकोट खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 1449(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क(पठानकोट-जम्मू खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 1450(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (मुकेरियां-पठानकोट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 1451(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क(जालंधर-पठानकोट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 2186(अ) जो 7 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (बेलूर-बनावरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी और सम्पदा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(अठारह) का०आ० 2187(अ) जो 7 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234

(हुलियार-सिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी और सम्पदा अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

- (उन्नीस) का०आ० 2611(अ) जो 22 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 90 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (बीस) का०आ० 1294(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (राजमार्ग-बरेली खण्ड) (बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 1577 (अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 1699(अ) जो 19 जुलाई 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 1701(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 1426(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (देवास-इन्दौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 1378(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1041(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (छबीस) का०आ० 1423(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2974(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्ताईस) का०आ० 1444(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०ई०-II (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (सोनीपत खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 1569(अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 1814(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर एक पैदल ऊपरि पुलों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 1343(अ) जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-वालजापेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 839(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (नागरकोईल-कावलकिनरू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 1392(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (कैरल/तमिलनाडु सीमा से कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतीस) का०आ० 754(अ) जो 5 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चाँतीस) का०आ० 1352(अ) जो 9 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (डिंडीगुल से थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 887(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 888(अ) जो 20 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलूंदूरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 1268(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 1076(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 1499(अ) जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चालीस) का०आ० 1500(अ) जो 21 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 1161(अ) जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69

(नागपुर-सावनेर-पन्धूरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) कांआ० 1712(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) कांआ० 1597(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (धारवाड़-बेलगाम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) कांआ० 1810(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबागल-आन्ध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) कांआ० 1811(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलबागल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) कांआ० 509(अ) और कांआ० 510(अ) जो 26 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतालीस) कांआ० 678 (अ) जो 23 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादगिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) कांआ० 1016(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (उनचास) का०आ० 1023(अ) और का०आ० 1024(अ) जो 5 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 1045(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 1067(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बावन) का०आ० 1043(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-रुद्रकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरपन) का०आ० 1176(अ) जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष डिप्टी कलक्टर (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग 5, विशाखापट्टनम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (चौवन) का०आ० 1177(अ) जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर, विजयनगरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (पचपन) का०आ० 1178(अ) जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर, विजयनगरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

- (छप्पन) का०आ० 1476(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तावन) का०आ० 1284(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (फेज-II) के निर्माण (सन्निर्माण) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का०आ० 1393(अ) और का०आ० 1395(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंडूरपेट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 1572(अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (साठ) का०आ० 1425(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिंपलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) का०आ० 1295(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य), नागपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (बासठ) का०आ० 1446(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2322(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) कांआ 1447(अ) जो 16 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या कांआ 2321(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंसठ) कांआ 1228(अ) जो 25 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या कांआ 1459(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) कांआ 1421(अ) जो 14 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (नागपुर-सावनेर-पन्धूरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु डिप्टी कलक्टर और विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य), नागपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

3. याचिका समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आर सी एफ के कॉकण रेलवे पेन-थाल ट्रैक पर यात्री सेवा शुरू किए जाने के बारे में याचिका समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती संतोष चौधरी ने 'तेल रिफायनरी—एक समीक्षा' विषय पर 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने “अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन—उसके अधीन बनाए गए नियम” विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री ने नई दिल्ली में हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. नारियल विकास बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री शरद पवार की ओर से प्रो० के०वी० थॉमस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (एक और दो) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खण्ड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्वधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसलने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 15 नवम्बर, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन के पैरा संख्या 3 की मद को छोड़कर, जिसका निपटान सभा द्वारा किया जा चुका है, से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ० एम० जगन्नाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश के नागरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न खण्डों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंडुरी महात्मा गाँव में एन०बी०सी०सी० द्वारा किए गए ठोस कचरा प्रबंध परियोजना और अवसंरचनात्मक विकास हेतु अर्जित की गई भूमि के लिए उचित मूल्य की संदायगी किए जाने तथा इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (3) श्री एम० आई० शानवास द्वारा केरल के वायनाड जिले में जनजातीय लोगों में फैलने वाले सिक्ल सेल एनीमिया रोग के कारणों का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय चिकित्सकों का एक विशेषज्ञ दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा मध्य प्रदेश में बैंक ग्राउण्ड रीजन ग्राण्ट फंड के अंतर्गत निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने तथा उसकी अन्य स्कीमों में अन्यत्र उपयोग रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पी० टी० थॉमस द्वारा केरल के इदुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखण्ड में चन्द्रपुरा धनबाद स्थित वी० आई० पी० गेट के बंद होने के कारण पैदल यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराए जाने तथा फुसरो रेल क्रॉसिंग को फिर से खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा को कवर करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के झांसी-छतरपुर खण्ड को चार लेन वाले एक्सप्रेस राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश में चंदौली टारुन एरिया और मतकुट्टा में अलीनगर-सकलडीहा रेल लाईन पर समपार पर रेल ऊपर पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती सीमा उपाध्याय द्वारा उत्तर प्रदेश में टुंडला जंक्शन पर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में बड़े पैमाने पर ड्रोन, रूस्तम, मीडियम अल्टीट्यूट लाँग एंजोरेन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल का बड़े पैमाने पर उत्पादन और इन्हें लगाए जाने का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री ए० के० एस० विजयन द्वारा श्रीलंकाई सेना द्वारा नागापट्टिनम के समुद्री किनारे के समीप भारतीय मछुआरों के साथ होने वाले निरंतर दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री प्रबोध पांडा द्वारा देश में मछुआरा समुदाय के कल्याण का ध्यान रखते हुए, प्रारूप समुद्र तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2010 को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में मुजफ्फरपुर-मोतीहारी खण्ड में पीपरा और नरियां रेलवे स्टेशनों के बीच सईन गाँव में पैदल यात्री और वाहन यातायात के आवागमन हेतु मानवयुक्त रेल क्रॉसिंग का प्रबंध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री तिरूमावलावन थोल द्वारा तमिलनाडु के चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इचेनगडु में गुरुवयुर एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 6127/28) और कन्याकुमारी एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 2633/34) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.06 बजे

(लोक सभा गुस्वार, 18 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 18 नवम्बर, 2010/27 कार्तिक, 1932 (शक)

संख्या 118

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121-140 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1381-1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) लम्बित विधि आयोग प्रतिवेदन, नवम्बर, 2010 के बारे में छठे वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) जुलाई, 2006 से जून, 2007 तक की अवधि के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 45वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2010 जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 400(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) अप्पैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अप्पैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यवहार संहिता) विनियम, 2010 जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) संशोधन विनियम, 2010 जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 721(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, पाइप लाइन बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तार करने के लिए सत्ताओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 722(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(एक) (क) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) मेकॉन लिमिटेड, राँची के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (ख) मेकॉन लिमिटेड, राँची का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (तीन) (क) एमएसटीसी लिमिटेड (इसकी समनुषंगी कंपनी, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन सहित), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) एमएसटीसी लिमिटेड (इसकी समनुषंगी कंपनी, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन सहित), कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (चार) (क) एमओआईएल लिमिटेड [पूर्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड], नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) एमओआईएल लिमिटेड [पूर्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड], नागपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

अपराहन 12.02 बजे

3. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एम० कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के अरनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर कोट्टेरीपुट्टु में एक ऊपरि पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में ईएसआई कार्डधारकों की समस्याओं को दूर करने और ईएसआई औषधालयों/अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (3) श्री हर्षवर्धन द्वारा उत्तर पूर्व में ग्रेट बेंड के समीप ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन को बांध बनाए जाने से रोकने हेतु समय पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों को चालू किए जाने और गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एम० के० राघवन द्वारा केरल के कोझिकोड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालीकट स्थित चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा सऊदी अरब की तीर्थ यात्रा करने हेतु राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आवेदकों की लंबित सूची से हज यात्रियों को वीजा स्वीकृति को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा अनुसूचित जातियों के समान सुविधा दिए जाने हेतु 'कोली' और 'कोरी' समुदायों को एक ही जाति माने जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, घनौली-बड़डी, नांगल-तलवारा और बिलासपुर-मंडी मनाली-लेह रेल लाईन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री महेन्द्र सिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा जिले में भिलौडा तहसील में डाकघर के स्थायी भवन निर्माण हेतु निधियां प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ० भोला सिंह द्वारा राज्य के चीनी मिलों विशेष रूप से वारसलीगंज चीनी मिल के लिए ईथनॉल की आपूर्ति करने हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र सरकार के बांधों के निर्माण हेतु परियोजनाओं के प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.03 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 19 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 19 नवम्बर, 2010/28 कार्तिक, 1932 (शक)

संख्या 119

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका।
अतः आज की कार्य सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 141–160 को अतारांकित माना
गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1611–1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही
वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को संशोधन-पूर्व दरों पर लेकिन संशोधित वेतन के
संदर्भ में 01.01.1996 से 31.07.1997 तक की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता
से संबंधित 2002 के सीए संदर्भ मामला संख्या 2 में माध्यस्थता बोर्ड के निर्णय को
अस्वीकार किए जाने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक
प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित
लेखे।

- (दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 639(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 662(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उपकर (संशोधन) नियम, 2010 जो 8 सितम्बर 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 737(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) का०आ० 1680(अ) जो 15 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 1850(अ) जो 28 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 1878(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का०आ० 1999(अ) जो 13 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का०आ० 2097(अ) जो 27 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का०आ० 2140(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का०आ० 2287(अ) जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या

36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (आठ) का०आ० 2348(अ) जो 28 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयातित और निर्यात माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) का०आ० 2388(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा०का०नि० 716(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 153/2009-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा०का०नि० 717(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयातित कच्ची खाल और चमड़ा और अर्द्ध संसाधित चमड़े को तब निर्यात शुल्क से छूट देना है, जब उनका निर्यात बंद गोदामों से किया जाए जहां उसे आयात के पश्चात् रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा०का०नि० 718(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा०का०नि० 730(अ) जो 6 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा०का०नि० 761(अ) जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पन्द्रह) सांका० 796 (अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लिली फ्रो फाउण्डेशन द्वारा आयातित और लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद् को दान में दिए गए, राहत उपस्करों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांका० 799(अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सांका० 800(अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेमी मिल्ड या पूर्णतया मिल्ड चावल पर यथा लागू आयात शुल्क से पूरी तरह छूट की समापन तारीख को 30.9.2010 से बढ़ाकर 30.9.2011 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सांका० 804 (अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 153/2009-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांका० 805(अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत और नेपाल सरकार के बीच संशोधित व्यापार संधि के अनुसार, विशिष्ट शर्तों के अध्वधीन, नेपाल में उद्भूत माल की शुल्क रहित पहुंच प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सांका० 806 (अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 100/89-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सांका० 807 (अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 44/2010-सी०शु० को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सांका० 808 (अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या 59/2010-सी०शु० को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेईस) सीमा शुल्क भवन अभिकर्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 2010 जो 8 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 291 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) कूरियर आयात और निर्यात (मंजूरी) संशोधन विनियम, 2010 जो 12 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 676 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (तेईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेनवेट क्रेडिट (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 24 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 778(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका० 782(अ) जो 28 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-कं०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांका० 845(अ) जो 19 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राष्ट्र संघ तथा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शासकीय उपयोग के लिए आपूर्ति किए गए माल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांका० 727(अ) जो 3 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आउटडोर कैटरिंग की कर योग्य सेवा को सम्पूर्ण सेवा कर से तब छूट प्रदान करना है जब वह किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा दी जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 822(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 823(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लॉटरी के आयोजक राज्य द्वारा नियुक्त या अधिकृत वितरकों या विक्रय एजेंटों से भिन्न लॉटरी टिकटों का विपणन कर रहे व्यक्तियों को लॉटरी पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 738(अ) जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या 30/2005-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2010 जो 13 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 1661(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (14) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 695(अ) जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित क्यूमेरिन के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 696(अ) जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या 38/2010-सी०शु० को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 709(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान और बेलारूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के सभी आयातों पर अभिहित प्राधिकारी की

समीक्षा कार्यवाही में अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांका० 715(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 12/2010-सी० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांका० 760(अ) जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच संशोधित व्यापार संधि के अनुसार नेपाली उद्भूत माल पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांका० 773(अ) जो 21 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम ट्राईपोली फॉस्फेट' के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी के 21 मई, 2010 के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांका० 783(अ) जो 28 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड या वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सभी प्रकार के डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क रिकार्डेबल पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांका० 795(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 50/2009-सी० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांका० 817(अ) जो 6 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और चीनी ताईपेई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित मानव निर्मित फाइबर से बने पायल वीव वाले नैरो वुवन फैब्रिक पर अंतिम समीक्षा निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुसरण में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) सांकायन 818(अ) जो 6 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 46/2010-सी०शु० को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकायन 846(अ) जो 19 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/2007-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकायन 861(अ) जो 27 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, या वहां से निर्यातित 1-फिनाईल-3 मिथाईल-5-पाइरेजोलोन के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के प्रतिपाटन तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा किए जा रहे अंतिम समीक्षा अन्वेषणों को अंतिम रूप दिए जाने तक 30 जून, 2011 सहित तथा उस तक उदग्रहण को बढ़ाया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (15) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित आंचलिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:—
- (एक) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
 - (दो) उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलनगीर
 - (तीन) विश्वेश्वरैय्या ग्रामीण बैंक, मांड्या
 - (चार) कलिंग ग्राम्य बैंक, कटक
 - (पांच) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल
 - (छह) बैतरनी ग्राम्य बैंक, बड़ीपाड़ा
 - (सात) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव
 - (आठ) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर
 - (नौ) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर
 - (दस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर
 - (ग्यारह) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची

- (बारह) बलिया-इटवा ग्रामीण बैंक, बलिया
- (तेरह) आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
- (चौदह) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, नांदेड़
- (पन्द्रह) लंगपी देहांगी रूरल बैंक, डीफु
- (सोलह) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम
- (सत्रह) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी
- (अठारह) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना
- (उन्नीस) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून
- (बीस) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर
- (इक्कीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा
- (बाइस) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर
- (तेइस) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका
- (चौबीस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर
- (पच्चीस) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, बरहामपुर
- (छब्बीस) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग
- (सताइस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
- (अठाइस) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ
- (उनतीस) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल
- (तीस) काँवेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, मैसूर
- (इक्तीस) पुडुवई भारथियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी
- (बत्तीस) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा
- (तैंतीस) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- (चौंतीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर
- (पैंतीस) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
- (छत्तीस) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर
- (सैंतीस) साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मल्लपुरम
- (अड़तीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर
- (उनतालीस) जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू
- (चालीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग

(16) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) “19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 दिल्ली” के अवसर पर ढाले गए एक सौ रुपए, पाँच रुपये और दो रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2010 जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) “बृहदीश्वर मंदिर के एक हजार वर्ष” के अवसर पर ढाले गए एक हजार रुपये और पाँच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2010 जो 21 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 651(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(18) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 19 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 426(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2010 जो 10 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 663(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य रखे:—

(एक) संयुक्त राज्य अमरीका के माननीय राष्ट्रपति बराक एच ओबामा द्वारा भारत का दौरा; और

(दो) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में की गयी विदेश यात्राएं।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 'कुछ देशों को गैर-बासमती चावल के निर्यात' के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री दयानिधि मारन की ओर से श्रीमती पनबाका लक्ष्मी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2010

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा सोमवार, 22 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 नवम्बर, 2010/1 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 120

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य डा० वसंत पवार और दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री अमर पाल सिंह के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

उन्होंने 15 नवम्बर, 2010 को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क में एक बहुमंजिली इमारत के ढह जाने से लगभग 70 लोगों के मारे जाने और 82 लोगों के घायल होने का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 161–180 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1841–2070 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, अप्लाएन्सेज एण्ड प्रोटेक्शन डिवाइसेज एण्ड एसेसरिज (क्वालिटी कन्ट्रोल) संशोधन आदेश, 2010 जो 21 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2604(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नॉलोजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नॉलोजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) शिक्षुता (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 18 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 838(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 3 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 148 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 3 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 149 में प्रकाशित हुए थे।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री भक्त चरण दास ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित 'खेल-नीति, अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाएं' विषय के बारे में सातवां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।
- (2) उपभोक्ता, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन और मूल्य स्थिति' विषय के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।
- (3) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय पत्तन-अवसंरचना विकास और क्षमता वर्धन' विषय के बारे में 9वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रम और रोजगार मंत्री ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 22 नवम्बर, 2010 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा रामगंजमण्डी और भोपाल के बीच रेल लाईन के निर्माण के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एस.एस. रामासुब्बु द्वारा तमिलनाडु में तूतीकोरिन विमानपत्तन के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य द्वारा असम में चन्द्रानाथपुर वाया लंका और जगी रोड से गुवाहाटी तक एक वैकल्पिक बड़ी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ. चार्ल्स डिएस द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने के लिए तालुका के स्थान पर मानदंड के रूप में गांव को लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री रामसिंह कस्वां द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत सादुलपुर और रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों के नजदीक चौकीदार युक्त रेलवे क्रॉसिंगों पर रेल ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पलेज रेलवे स्टेशन पर गुजरात एक्सप्रेस और जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (9) श्री प्रेमदास कथीरिया द्वारा उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले के डिबियापुर के एनटीपीसी विद्युत संयंत्र के आस-पास के गांवों में बिजली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (10) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुर्जा जंक्शन पर सभी चार टिकट काउण्टरों को चालू किए जाने तथा उक्त स्टेशन पर रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (11) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर न्यू जलपाईगुडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (रेलगाड़ी सं. 2523/2524) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (12) श्री पी.के. बीजू द्वारा केरला कलामंडलम जो कि केरल में कला और संस्कृति का केन्द्र है, के लिए वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (13) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धर्मपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शिवानल्ली में लेवल क्रॉसिंग के निर्माण के अलावा अध्यामन कोर्टर्ड, चिन्थालपडी और बुदीरेदीपट्टी के निकट लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे ऊपर पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (14) श्री जयंत चौधरी द्वारा यमुना नदी को साफ किए जाने के लिए बनाई गई योजनाओं की निगरानी के लिए यमुना रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (15) डॉ० तरुण मंडल द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.03 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 नवम्बर, 2010/2 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 121

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 181-200 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071-2300 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नार्थ ईस्टर्न हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नार्थ ईस्टर्न हैण्डक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (काँच उद्योग विकास केन्द्र), फिरोजाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (काँच उद्योग विकास केन्द्र), फिरोजाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ़ैग्रेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ़ैग्रेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010, जो 5 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 811(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, न्यायाधीश महान्यायवादी, अपर न्यायाधीश महान्यायवादी, उप-न्यायाधीश महान्यायवादी और न्यायाधीश न्यायवादी समूह 'क' पद भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2010, जो 26 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) (एक) पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैनस को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) चीनी (थोक उपभोक्ताओं की शेयरधारिता सीमा) आदेश, 2010 जो 18 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 419(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) चीनी (थोक उपभोक्ताओं की शेयरधारिता सीमा) (संशोधन) आदेश, 2010 जो 18 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सांकांनि 779(अ) जो 24 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीनी के प्रत्येक घरेलू उत्पादक पर वर्ष 2010-2011 चीनी मौसम के दौरान उत्पादित चीनी पर 10% की दर से लेवी बाध्यता लगाए जाने के बारे में है।
- (चार) कांआ 2398(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीनी और खांडसारी के डीलरों पर शेयरधारिता तथा टर्नओवर सीमाएं लगाए जाने के बारे में है।
- (10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ 1534(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 236 (अंधेरिया मोड़-दिल्ली/हरियाणा सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) कांआ 2467(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 236 (अंधेरिया मोड़-दिल्ली/हरियाणा सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तीन) का०आ० 2305(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 236 (अंधेरिया मोड़-दिल्ली/हरियाणा सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2557(अ) और का०आ० 2562(अ) जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 236 (अंधेरिया मोड़-दिल्ली/हरियाणा सीमा) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 1293(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (डुबुरी-भुवन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 1547(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (पिटिरी-भुवन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 1583(अ) जो 2 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2633(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर प्रस्तावित वाराणसी रिंग रोड के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (नौ) का०आ० 2576(अ) जो 18 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91

(गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (दस) का०आ० 1372(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 20 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 894(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (ग्यारह) का०आ० 2464(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 2113(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (झांसी-खजूरहो खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 2059(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न-पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) (गाजियाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 2540(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 2378(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (सोलह) का०आ० 2577(अ) जो 18 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सत्रह) का०आ० 2542(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 1692(अ) जो 17 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (दिल्ली-मेरठ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 1805(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 1690(अ) जो 17 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), संयुक्त संगठन, मेरठ को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-मेरठ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (इक्कीस) का०आ० 1873(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 1691(अ) जो 17 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), संयुक्त संगठन, मेरठ को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 और 58 (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (तेईस) का०आ० 1871(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-

बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौबीस) का०आ० 2082(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (झांसी-खजुराहो खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 1697(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 9 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 939(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का०आ० 1377(अ) जो 10 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2798(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्ताईस) का०आ० 1707(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठाईस) का०आ० 2058(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी-औरंगाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 1700(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 1757(अ) जो 21 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (बड़-बिलारा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 2307(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8

(सूरत-धहिसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बत्तीस) कांआ 2102(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) (कांडला-चंद्रोदा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतीस) कांआ 1807(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी चरण-छह के अंतर्गत गुजरात राज्य में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौत्तीस) कांआ 2272(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद- गुजरात/मं० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) कांआ 1708(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद- गुजरात/मं० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) कांआ 2253(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद- गुजरात/मं० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतीस) कांआ 2558(अ) जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देओली-कोटा खण्ड) (पैकेज-I) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तीस) कांआ 2055(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (समाखियाली-गांधीधाम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (उनतालीस) का०आ० 2617(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चालीस) का०आ० 2222(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देओली- झालावार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 2057(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देओली- झालावार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 2056(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (व्यावर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतालीस) का०आ० 2111(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चवालीस) का०आ० 2060(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (समाखियाली-गांधीधाम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतालीस) का०आ० 2015(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (धुलिया-सूरत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 2010(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत

खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सैतालीस) का०आ० 1951(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी चरण-छह के अंतर्गत गुजरात राज्य में वडोदरा- मुंबई एक्सप्रेसवे खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) का०आ० 2131(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 25 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1545(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) दिया हुआ है।
- (उनचास) का०आ० 2241(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (सिरोही खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 2382(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर-रींगस खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 1831(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बावन) का०आ० 2077(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दनकुनी- खड़गपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरपन) का०आ० 1624(अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौवन) का०आ० 2046(अ) जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-राडगांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 1644(अ) जो 12 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बेरहामपुर- फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 1912(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतावन) का०आ० 2084(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का०आ० 1721(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बेरहामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 2127(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राडगांव-महुलिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (साठ) का०आ० 1829(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बारासात-बेरहामपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) का०आ० 1711(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33

(बरही-हजारीबाग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बासठ) का०आ० 1716(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) का०आ० 1719(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाईपासों के निर्माणों सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौंसठ) का०आ० 2132(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंसठ) का०आ० 2217(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राडगांव-महुलिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छियासठ) का०आ० 1718(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (सड़सठ) का०आ० 1720(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (अड़सठ) का०आ० 1936(अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही-हजारीबाग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (उनहत्तर) का०आ० 2133(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (सत्तर) का०आ० 2235(अ) जो 23 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-राडगांव खण्ड) (बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकहत्तर) का०आ० 1722(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बहरामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (बहत्तर) का०आ० 2047(अ) जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-राडगांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (तिहत्तर) का०आ० 2076(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चौहत्तर) का०आ० 2462(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बख्तियारपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पचहत्तर) का०आ० 2543(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छिहत्तर) का०आ० 2384(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (सतहत्तर) का०आ० 1625(अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (अठहत्तर) का०आ० 2085(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (उन्नासी) का०आ० 1723(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बहरामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (अस्सी) का०आ० 1626(अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बहरामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (इक्कासी) का०आ० 2083(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (बयासी) का०आ० 1935 (अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-राडगाँव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (तिरासी) का०आ० 1980 (अ) जो 12 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही-इंदिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (चौरासी) का०आ० 2376 (अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राडगाँव-महूलिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पचासी) का०आ० 1876 (अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छियासी) का०आ० 2078 (अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (सतासी) का०आ० 2383 (अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-राडगाँव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (अठासी) का०आ० 1934 (अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (गोविंदपुर-बनखेटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (नवासी) का०आ० 1287 (अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (नब्बे) का०आ० 2304 (अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला भूमि अर्जन अधिकारी राँची, झारखंड को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (इक्यानवेँ) का०आ० 2129(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (बानवे) का०आ० 1911(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (तिरानवे) का०आ० 1594(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (गोविंदपुर-बनखेटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चौरानवे) का०आ० 2334 (अ) जो 23 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी-औरंगाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पिचानवे) का०आ० 2020(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-झालावाड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छियानवे) का०आ० 1477(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (रायपुर-रीनगस खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (सतानवे) का०आ० 2248(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (अठानवे) का०आ० 2246(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क

(मुन्द्रा विलेज चन्द्रोडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(निन्यानवे) कांआ० 2306(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या कांआ० 2989 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सौ) कांआ० 2250(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ एक) कांआ० 2101 (अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (एक्सटेंशन) (सूरत-दहिसार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ दो) कांआ० 2014(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सूरत-हजीरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ तीन) कांआ० 2619(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ चार) कांआ० 1836(अ), कांआ० 1837(अ) और कांआ० 1838(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ पांच) कांआ० 2018(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ छह) कांआ० 2252(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सात) कांआ० 1545(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (धुलिया-सूरत खण्ड) से (सूरत-हजीरा खण्ड पर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ आठ) कांआ० 2587(अ) जो 19 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर-अम्बाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ नौ) कांआ० 2061(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए (एक्सटेंशन) (काण्डला-चन्द्रोदा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ दस) कांआ० 2017(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-बड़ोदरा खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ ग्यारह) कांआ० 1627(अ) जो 8 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (गुजरात/महाराष्ट्र सीमा पर) (व्यारा और बाजीपुरा बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ बारह) कांआ० 1536(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ तेरह) का०आ० 2267(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ चौदह) का०आ० 2618(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पन्द्रह) का०आ० 1832(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/म०प्र० सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सोलह) का०आ० 1913(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर-रींगस खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सत्रह) का०आ० 2232(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (छिन्दवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ अठारह) का०आ० 2233(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरानाला से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ उन्नीस) का०आ० 2238(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरानाला से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बीस) का०आ० 2556(अ) जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69ए (बेतुल/छिन्दवाड़ा जिला सीमा से छिन्दवाड़ा खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने “भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित ‘डाकघरों का आधुनिकीकरण’ के बारे में 15वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में 5वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 16वां प्रतिवेदन।
- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में 7वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

5. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अशोक तंवर ने ‘प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010’ के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 227वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री अशोक तंवर ने 'प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09 और 2010-11) के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः 214वें और 217वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री सुरेश काशीनाथ द्वारा महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघा और पावरलूम में लगे उद्यमियों, बुनकरों और असंगठित मजदूरों की समस्याओं के समाधान की आवश्यकता के बारे में।
- (2) चौधरी लाल सिंह द्वारा जम्मू और कश्मीर में भूजल के कृत्रिम भरण के लिए निधि उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों की मजूदरी में वृद्धि करने तथा उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री के०डी० देशमुख द्वारा मध्य प्रदेश में बालाघाट-जबलपुर रेल लाइन पर आमामान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा कपास उत्पादकों को कपास का उचित मूल्य देने तथा इसके निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (6) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड में संथाल परगना के 'खेतौरी', 'भूइयां', 'घटवाल', 'भूइयां-घटवाल', 'पेरियार' और 'कादर' समुदाय तथा उड़ीसा में 'कोंडा रेड्डी' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़/वर्षा के कारण गंगा नदी की धारा से होने वाले व्यापक भू-कटाव को रोकने हेतु उक्त धारा को दिशा देने के लिए तटबंध के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री डी० वेणुगोपाल द्वारा देश में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डारण की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने तथा अतिरिक्त कस्टम मिल्ड राइस को उड़ीसा से अन्य राज्यों को भेजने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों, जिनकी फसलों को भारी और गैर-मौसमी बरसात के कारण भारी क्षति हुई है, को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और सोनाकोनिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 की मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में मोतीपुर और गोरौल की बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री जोस के० मणि द्वारा केरल के कोट्टयम में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.04 बजे

(लोक सभा बुधवार, 24 नवम्बर 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 24 नवम्बर, 2010/3 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 122

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 201-220 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301-2530 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पासपोर्ट आवेदन (सुकर बनाना तथा प्रक्रिया) नियम, 2010 जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 371(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2010 जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 372(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पासपोर्ट (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 12 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 675(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 15 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि 370(अ), जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पुलिस आयुक्तों, चेन्नई सिटी, चेन्नई सब-अर्बन, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, तिरुनेलवेली और सेलम तथा तमिलनाडु के सभी जिलों के कलक्टरों को उनके अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से अभियोजन को स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय हज समिति, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 से 2008-2009 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) पर्यावरण (संरक्षण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 739(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पर्यावरण (संरक्षण) (छठा संशोधन) नियम, 2010 जो 4 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 809(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (8) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2718(अ) जो 4 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित उन पादपों तथा जन्तुओं की प्रजातियों को अधिसूचित किया गया है जो कर्नाटक राज्य में विलुप्ति के कगार पर हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) अठारहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 619(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) बीसवां संशोधन नियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 620(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) उन्नीसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 621(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) इक्कीसवां संशोधन नियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 622(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) बीसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 623(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) बाइसवां संशोधन नियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 624(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) इक्कीसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 625(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तेईसवां संशोधन नियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 626(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) बाईसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 627(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौबीसवां संशोधन नियम, 2010, जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 628(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2010, जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2010, जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 674(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 19 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 688(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 2010, जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 689(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तेईसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पच्चीसवां संशोधन नियम, 2010, जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 725(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 835(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन नियम, 2010, जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 836(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) चौबीसवां संशोधन विनियम, 2010, जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 878(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छब्बीसवां संशोधन नियम, 2010, जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 2010, जो 9 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियम, 2010, जो 9 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 899(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 2010, जो 20 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 768(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छब्बीसवां संशोधन नियम, 2010, जो 20 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 769(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, जो 20 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 770(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा

की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

दसवीं लोक सभा

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. विवरण संख्या अठाइस | पंद्रहवां सत्र, 1995 |
|-----------------------|----------------------|

ग्यारहवीं लोक सभा

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 2. विवरण संख्या चालीस | दूसरा सत्र, 1996 |
| 3. विवरण संख्या चालीस | चौथा सत्र, 1997 |

बारहवीं लोक सभा

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 4. विवरण संख्या बयालीस | चौथा सत्र, 1999 |
|------------------------|-----------------|

तेरहवीं लोक सभा

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 5. विवरण संख्या तेतालीस | चौथा सत्र, 2000 |
| 6. विवरण संख्या इकतीस | पांचवां सत्र, 2000 |
| 7. विवरण संख्या छियालीस | सातवां सत्र, 2001 |
| 8. विवरण संख्या तीस | बारहवां सत्र, 2003 |
| 9. विवरण संख्या सत्ताईस | चौदहवां सत्र, 2003 |

चौदहवीं लोक सभा

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 10. विवरण संख्या चौबीस | दूसरा सत्र, 2004 |
| 11. विवरण संख्या बाईस | तीसरा सत्र, 2004 |
| 12. विवरण संख्या तेईस | चौथा सत्र, 2005 |
| 13. विवरण संख्या बीस | पांचवां सत्र, 2005 |
| 14. विवरण संख्या उन्नीस | छठा सत्र, 2005 |
| 15. विवरण संख्या उन्नीस | सातवां सत्र, 2005 |
| 16. विवरण संख्या सोलह | आठवां सत्र, 2006 |
| 17. विवरण संख्या सोलह | नौवां सत्र, 2006 |
| 18. विवरण संख्या पंद्रह | दसवां सत्र, 2007 |

19. विवरण संख्या तेरह	ग्यारहवां सत्र, 2007
20. विवरण संख्या बारह	बारहवां सत्र, 2007
21. विवरण संख्या दस	तेरहवां सत्र, 2008
22. विवरण संख्या आठ	चौदहवां सत्र, 2008
23. विवरण संख्या सात	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

24. विवरण संख्या छह	दूसरा सत्र, 2009
25. विवरण संख्या चार	तीसरा सत्र, 2009
26. विवरण संख्या चार	चौथा सत्र, 2010
27. विवरण संख्या एक	पांचवां सत्र, 2010

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी सिलचर, सिलचर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी सिलचर, सिलचर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० महेश जोशी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. लोक लेखा समिति के विवरण

श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) “स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2003-2004)” के बारे में 45वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(दो) “स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2004-2005)” के बारे में 62वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(तीन) “राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम” के बारे में 63वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(चार) “आईसीएआर के संस्थानों द्वारा शुरू की गई मृदा और जल के उपयोग तथा संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन” के बारे में 65वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(पांच) “सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)” के बारे में 66वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(छह) “मांगों को अंतिम रूप देने में विलंब” के बारे में 71वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

- (सात) “कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का कार्यकरण” के बारे में 76वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (आठ) “प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)” के बारे में 82वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (नौ) “खाद्यान्न प्रबंधन” के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (दस) “त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)” के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (ग्यारह) “सुनामी राहत और पुनर्वास” के बारे में 5वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने (i) बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में सर्वश्री विश्व मोहन कुमार और अशोक कुमार रावत, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 48 के संबंध में 28.7.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी के बारे में श्री पी० कुमार और डॉ० पद्मसिंह बाजीराव पाटील, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 40 के संबंध में 10.11.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2010-11

श्री ई० अहमद ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2008-09

श्री ई० अहमद ने वर्ष 2008-09 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा तमिलनाडु के मदुरै और विरूद्धनगर के बीच रेल लाईन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता के मानदंड में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा देश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं के वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० पन्ना लाल पुनिया द्वारा सिविल सेवकों की तैनाती की अवधि नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों को उर्वरक जैसे डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री भक्त चरण दास द्वारा पश्चिमी उड़ीसा में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को समुचित प्रतिपूर्ति दिए जाने तथा राज्य में जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें भी प्रतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री रमेन डेका द्वारा असम के मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण समय पर सुनिश्चित किए जाने हेतु सड़क परियोजनाओं की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ में एपीएल कार्डधारकों को केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के ओछा में एक कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण काउण्टर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सतना शहर में वेला से कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तथा वेला से खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के मरम्मत कार्य कराए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर एक बाईपास की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री गजानन डी० बाबर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुंबई-पुणे) के मुंबई-पुणे खण्ड के निर्माण को पूरा किए जाने तथा खण्ड पर कार्य के पूरा होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथ कर की वसूली रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० संजीव गणेश नाईक द्वारा ग्रेटर मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य या उनके आकलनीय मूल्य के आधार पर संपत्ति कर लगाने के लिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1879 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी० कुमार द्वारा तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 25 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 25 नवम्बर, 2010/4 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 123

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 221-240 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2531-2760 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 3 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 726(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) वायुयान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि 801(अ) जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक

29 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 643(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 की उपधारा 18(5ख) के अंतर्गत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 30वें वार्षिक प्रतिवेदन जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 104/30/लेखा में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख)(एक) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग)(एक) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ)(एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2010 जो 10 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 900(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) (क) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (दो) (क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (तीन) (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (चार) (क) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (पांच) (क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छह) (क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण तथा अध्याय पांच के संबंध में अंतिम उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखे:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) (15वीं लोक सभा) के बारे में छठा की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) (15वीं लोक सभा) के बारे में सातवां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) नागर विमानन मंत्री ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' के संबंध में 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'नाइपर के लिए धनराशि का आबंटन' के बारे में श्री उदय सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5628 के संबंध में 29 अप्रैल, 2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.01 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री सतपाल महाराज द्वारा ऋषिकेश, उत्तराखण्ड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ॰ चरण दास महंत द्वारा जांजगीर चम्पा जिला, छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर परियोजनाओं की बड़ी संख्या के कारण पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (3) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा सीबीएसई आईसीएसई और अन्य राज्य बोर्डों के उन विद्यार्थियों को जो खेल-कूद में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, ग्रेस मार्क देने संबंधी राष्ट्रीय योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में हथकरघा और पावर करघा उद्योगों को सस्ते कीमत पर यार्न उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० राजन सुशांत द्वारा देश में हरियाली बढ़ाने के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती कमला देवी पटले द्वारा छत्तीसगढ़ में जांजगीर चम्पा जिला मुख्यालय और शक्ति तहसील मुख्यालय में बाईपासों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार विमान पत्तन से विमान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा नेशनल शीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सीवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को समुचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 26 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 26 नवम्बर, 2010/5 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 124

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्रीमती पुतुल कुमारी, सदस्य जो बिहार के बांका निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, ने हिन्दी में प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले की दूसरी बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

3. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 241—260 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) द कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 218 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) द मालवा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 6 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 222 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) द बड़ौदा उत्तर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 234 में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) द आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 209 में प्रकाशित हुए थे।
 - (पाँच) द गुडगांव ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 203 में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) द प्रथमा बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 21 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 235 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) द साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 240 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) द नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 4 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 250 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) द आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 220 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) द जयपुर थार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 239 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) द पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 210 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार कर्मचारी (सेवा की निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा की निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 825(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार कर्मचारी (सेवा की निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 826(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 827(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 828(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 829(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन संशोधन नियम, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 830 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय जीवन बीमा निगम (पर्यवसित विकास अधिकारी की पुनर्नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2010 जो 5 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 812(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा की निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2010 जो 5 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 813(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) ओरिएंटल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (2010-11 का संख्यांक 17) वैज्ञानिक विभाग मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरण लेखापरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क लगाने योग्य वस्तुओं के विनिर्माण हेतु शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) संशोधन नियम, 2009 जो

30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 791(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनि 753(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) सांकांनि 749(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में संशोधन किए गए हैं।
- (चार) सांकांनि 723(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) सांकांनि 765(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 29.08.2008 की अधिसूचना संख्या 103/2008-सी०शु० (एन०टी०) में संशोधन किए गए हैं।
- (7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकांनि 714(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता बनाम टेक्नोवेल्ड इंडस्ट्रीज के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वायर रॉड्स से वायर निकालने की प्रक्रिया को विनिर्माण नहीं माने जाने की बात के होते हुए भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले वायर रॉड्स से निकाले गए वायर पर संदत्त उत्पाद शुल्क की सेनवैट क्रेडिट के लाभ को नियमित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17-क(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षणीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी के वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन योजना, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2470(अ) में प्रकाशित हुई थी।

- (दो) साधारण बीमा (विकास कर्मचारी के वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन योजना, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2471(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) साधारण बीमा (पर्यवेक्षणीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी के वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों की सुव्यवस्थीकरण) संशोधन योजना, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2472(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (चार) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2010 जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2473(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2091(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ 8.5% कर मुक्त ब्याज की दर निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/17/22954 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जोसेफ टोप्पो ने 'प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 228वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री जोसेफ टोप्पो ने 'प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'ठोस कचरा प्रबंधन' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 29 नवम्बर, 2010 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.30 बजे

9. प्रस्ताव

श्री इन्दर सिंह नामधारी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 24 नवम्बर, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 10वें और 11वें प्रतिवेदनों से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.31 बजे

(लोक सभा सोमवार, 29 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 29 नवम्बर, 2010/8 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 125

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने नवम्बर, 2010 में ग्वांगझू, चीन में हुए 16वें एशियाई खेल, 2010 में भारतीय दल को 14 स्वर्ण, 17 रजत और 33 कांस्य पदक जीत कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सभा की ओर से बधाई दी।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 261—280 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 863(अ) जो 28 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2010 को अनुमोदित किया गया है।
- (दो) सांकांनि 855(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या और उपचार) संशोधन विनियम, 2010 को अनुमोदित किया गया है।

- (तीन) सांकांनि 856(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 12 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 284(अ) का शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) दिया हुआ है।
- (6) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआ 2758(अ) जो 9 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या कांआ 2953(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (8) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।
- (दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित) नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व-शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व-शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व-शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) कैपेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कैपेक्सिल, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) (क) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (ख) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (दो) (क) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (ख) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (तीन) (क) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (ख) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांस्कृतिक 733(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी के प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “केन्द्रीय भण्डार के समक्ष आ रही कठिनाईयां” के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही उत्तर संबंधी 42वां प्रतिवेदन।
- (2) “कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही उत्तर संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा रामगंजमंडी से उज्जैन तक बरास्ता झालावाड़ और आगार रेल लाईन के निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप में मिनीकॉय द्वीप समूह में समुद्र क्षरण के कारणों का अध्ययन करने तथा इस संबंध में उपचारात्मक उपाए सुझाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा नेदुनूर गांव, करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना के लिए आन्ध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को गैस आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री आर० धुवनारायण द्वारा चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में तंबाकू उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री के०सी० वेणुगोपाल द्वारा केरल में शबरीमाला मंदिर को राष्ट्रीय तीर्थस्थल घोषित किए जाने तथा समुचित अवसंरचना, मूलभूत सुविधाएं तथा तीर्थयात्रियों के लिए रेलसंपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री हरीश चौधरी द्वारा विशेषकर बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में मदरसाओं को 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा भारतीयों के विदेशों में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विकास कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक्यूट इनसैफेलाइटिस सिन्ड्रोम और जापानी इनसैफेलाइटिस की रोकथाम के लिए समुचित संख्या में टीके उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा में विश्व स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री प्रबोध पांडा द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदनीपुर जिले में किसानों की राष्ट्रीयकृत बैंकों तक पहुंच बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (12) श्री ए० गणेशमूर्ति द्वारा जिन आवेदकों ने शुल्क अदा कर दिया है तथा रेलवे साइडिंग्स के निर्माण के लिए वर्ष 2005 में रेल बोर्ड द्वारा परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार कानूनी आदेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.03 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 30 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 30 नवम्बर, 2010/9 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 126

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 281—300 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) (क) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (दो) (क) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (तीन) (क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (चार) (क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2231(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यक्ष राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है जो उसमें उल्लिखित एक अध्यक्ष और पचास अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा तथा जिसकी नियुक्ति एक नियत अवधि के लिए होगी।
- (3) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज (पूर्व नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग), हैदराबाद के वर्ष 2009-2010

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज (पूर्व नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग), हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहटी के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2010 जो 25 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 780(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क के अंतर्गत आदेश संख्या एफ० सं० 12030/261/2009-एफ० VI जो 22 सितम्बर, 2010 को जारी हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के सभी उपबंध और उसके अधीन बनाया गया कोई भी आदेश बांग्लादेशी नागरिक सुश्री शज़िया जरीन और उनकी पुत्री पर लागू नहीं होंगे और इसलिए उन्हें विवासन की कार्यवाही से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 672(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सीमा सुरक्षा बल, कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 जो 3 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 131 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) सीमा सुरक्षा बल, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप्स, इंस्पेक्टर (टेक्निकल) भर्ती नियम, 2010 जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 136 में प्रकाशित हुए थे।

- (9) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (सामान्य ड्यूटी/टेक्निकल/ट्रेड्समैन) संवर्ग भर्ती नियम, 2010 जो 22 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 614(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सशस्त्र सीमा बल (पर्वतारोहण सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 666(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सशस्त्र सीमा बल, प्रचार एकक स्टाफ समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 736(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) सशस्त्र सीमा बल समूह 'ग' (प्रवर श्रेणी लिपिक, स्टेनोग्राफर और अवर श्रेणी लिपिक) पद भर्ती नियम, 2010 जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 698(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सशस्त्र सीमा बल समूह 'ख' (कम्बेटाइज्ड) (अराजपत्रित यान परिवहन और मैकेनिक संवर्ग) पद भर्ती नियम, 2010 जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 748(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सशस्त्र सीमा बल सहायक कमांडेंट समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी) कम्बेटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2010 जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 703(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) मेसर्स आई-लैंड इनफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मेसर्स आई-लैंड इनफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) उर्वरक (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 2010 जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2024(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) उर्वरक नियंत्रण (चौथा संशोधन) आदेश, 2010 जो 10 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1945(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) का०आ० 2363(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित चार कस्टमाइज्ड उर्वरक का विनिर्देश अधिसूचित किया गया है।
- (18) उपर्युक्त (17) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन), आदेश, 2010 जो 4 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2711 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (23) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 783(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त मद संख्या (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन), नियम, 2010 जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 708(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) का०आ० 2103(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०ई०-दो (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2224(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2317(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2681(अ) जो 28 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 1869(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2125(अ) और का०आ० 2126(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (बहादुरगढ़-रोहतक खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2223(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71

(रोहतक-बावल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (आठ) का०आ० 2128(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का०आ० 1474(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (झांसी-खजुराहो खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 1599(अ) जो 6 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पनधुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 1710(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पनधुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 2011(अ), का०आ० 2013(अ), और का०आ० 2019(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (बरेली-भोपाल खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 2080(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-राजमार्ग क्रॉसिंग खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 1815(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पनधुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पंद्रह) का०आ० 2045(अ) जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा विलम्ब संबंधी विवरण।
- (सोलह) का०आ० 2190(अ) जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (सत्रह) का०आ० 2554(अ) जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (अठारह) का०आ० 1939(अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 और 86 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (उन्नीस) का०आ० 1940(अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बीस) का०आ० 1937(अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 और 44 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (इक्कीस) का०आ० 1938(अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (बाईस) कांआ० 2188(अ) जो 7 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या कांआ० 13(अ) को निरस्त किया गया है।
- (तेईस) कांआ० 2189(अ) जो 7 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या कांआ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) कांआ० 1695(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या कांआ० 753(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) कांआ० 2237(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-26(ख) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) कांआ० 2235(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा/सिवनी जिला बोर्डर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) कांआ० 2236(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69(क) (इमलीखेरा जंक्शन से पूर्वी खण्ड में प्रस्तावित बाईपास जंक्शन तक) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) कांआ० 2377(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (उनतीस) कांआ० 2379(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3

(डिजाइन चेनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तीस) का०आ० 2541(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 1812(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 1917(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतीस) का०आ० 1952(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौत्तीस) का०आ० 1960(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 321(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंतीस) का०आ० 1964(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (राजमार्ग क्रॉसिंग-बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 2073(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 10 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1384 (अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया गया है।

- (सैंतीस) का०आ० 2075(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1474(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अड़तीस) का०आ० 2105(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (देवास-इंदौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 2109(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (राजमार्ग चौराहा-बरेली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चालीस) का०आ० 2371(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुत्तानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 1955(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अथिपल्ली-कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 1950(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतालीस) का०आ० 2054(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वलायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चवालीस) का०आ० 2218(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 66 (टिंडीवनम-कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पैतालीस) का०आ० 2264(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागापट्टिनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 1963(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वलायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 1915(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (विस्तार) (डिंडीगुल-थेनि और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) का०आ० 1958(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वलायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनचास) का०आ० 2107(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 2375(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वलायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 2386(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बावन) का०आ० 1916(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगांव-अमरावती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरपन) का०आ० 1956(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (भंडारा-नागपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौवन) का०आ० 2074(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-शोलापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 2072(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिंपलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 2110(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अच्छद-धेकाले खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तावन) का०आ० 2407(अ) जो 4 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वादापे-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का०आ० 2106(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (पनवेल-इंदापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 1981(अ) जो 12 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9

(पुणे-शोलापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (साठ) कांआ० 1717(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) कांआ० 1809(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बासठ) कांआ० 1825(अ) और कांआ० 1826(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-रूद्रकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) कांआ० 1830 (अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौंसठ) कांआ० 1868(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-रूद्रकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंसठ) कांआ० 1949(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (रूद्रकोट-नेल्लोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियासठ) कांआ० 1957(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के

अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

- (सड़सठ) का०आ० 2021(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (टाटापुडी-मुरिकीपुडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़सठ) का०आ० 2104(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1663(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनहत्तर) का०आ० 2114(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तर) का०आ० 2130(अ) जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 13 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1062(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (इकत्तर) का०आ० 2312(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बहत्तर) का०आ० 2326(अ) और का०आ० 2327(अ) जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपटनम खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिहत्तर) का०आ० 2374(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौहत्तर) कांआ० 2012(अ) जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कांपटी-कन्हन बाईपास से नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचहत्तर) कांआ० 1709(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-शोलापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छहत्तर) कांआ० 1828(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिपलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतहत्तर) कांआ० 1827(अ) जो 27 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (पनवेल-इंदापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने “अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं” विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
- (एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2009-10 और 2010-11) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे और चौथे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (2) खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री हर्ष वर्धन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी चित्रात्मक चेतावनियों के द्वारा तंबाकू प्रयोग के दुष्प्रभावों का विज्ञान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा केरल में भारी और बेमौसम की वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने तथा प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० पी०एल० पुनिया द्वारा दलितों के खिलाफ अत्याचारों के मामले दर्ज करने के लिए अलग थाने स्थापित किए जाने तथा उनके मामलों का समय पर निपटारा करने हेतु विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा फैजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश में नवाब शुजाउद्दौला (गुलाब बारी) और 'बहू-बेगम' के मकबরों की उचित देख-रेख तथा उन्हें सुंदर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा उन मेडिकल छात्रों को स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट दिए जाने की आवश्यकता, जिन्होंने विदेशी संस्थाओं से मेडिकल डिग्रीयां प्राप्त की हैं और जिन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- (6) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा देश के पहाड़ी क्षेत्रों में पक्की सड़कों के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री प्रहलाद वी० जोशी द्वारा कर्नाटक के 'मेदारा' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री नीरज शेखर द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में हथकरघा और विद्युत करघा उद्योगों का पुनरुद्धार करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती अश्वमेध देवी द्वारा उजियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पांच वर्ष पूरा होने के बाद सड़कों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ० रत्ना डे नाग द्वारा देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री डी० वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी स्कीम के अंतर्गत और अधिक जॉब श्रेणियां शामिल किए जाने तथा वर्षा ऋतु के दौरान भी लोगों को नियमित कार्य उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री कालीकेश एन० सिंह देव द्वारा सभी भूमि विस्थापितों को रोजगार देने की दृष्टि से बोलंगिर, उड़ीसा में बडमाल आयुध निर्माणी की अप्रयुक्त भूमि पर उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री गणेशराव एन० दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और परभणी क्षेत्रों में वायरल रोगों, डेंगू, मलेरिया, पीलिया और चिकनगुनिया से प्रभावित बच्चों को समुचित केन्द्रीय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराहन 12.03 बजे

(लोक सभा बुधवार , 1 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2010/10 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 127

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं, आठवीं, नौवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री महाबीर प्रसाद के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 301—320 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक उल्लेख किया।

अपराह्न 12.01 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यों, मुझे आपको सूचित करना है कि गुरुवार 2 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 9.30 बजे पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ संसद भवन, नई दिल्ली के द्वार संख्या 1 और केन्द्रीय कक्ष के बीच लिया जाएगा।

अतः, माननीय मंत्रियों और सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया गुरुवार, 2 दिसम्बर, 2010 को ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल हों तथा प्रातः 9.15 बजे तक फोटोग्राफ स्थल पर पहुंच जाएं।

सदस्यों की जानकारी के लिए ग्रुप फोटोग्राफ में बैठने की व्यवस्था को दर्शाने वाला चार्ट संसदीय सूचना कार्यालय और आउटर लॉबी में सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है।”

अपराह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड I और II) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (13) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2409(अ) जो 4 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1621(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2569(अ) जो 18 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख 18 अक्टूबर, 2010 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2570(अ) जो 18 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' की उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करने के लिए स्थापना की गई है, प्रवृत्त होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 6 और 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2571(अ) जो 18 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जस्टिस श्री एल० एस० पंडा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2390(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में संदर्भित मामले में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं किए जाने के कारणों को बताने वाला ज्ञापन।

- (21) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2010 जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि 758(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2010 जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 832(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (22) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (23) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगोड़ा का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, कालपक्कम के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, कालपक्कम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (26) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) एटोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एटोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फीजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फीजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० सा०का०नि० 705(अ) जो 25 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 अगस्त, 2010 से केंद्र प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) (एक) सर्व शिक्षण अभियान मिशन कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षण अभियान मिशन कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी, राँची के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी, राँची के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. याचिका समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के बारे में याचिका समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति:—
 - (क) अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में पहला प्रतिवेदन;
 - (ख) अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में 14वां प्रतिवेदन;
 - (ग) अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 19वां प्रतिवेदन;
 - (घ) अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 31वां प्रतिवेदन; और
 - (ङ) अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में 38वां प्रतिवेदन।
- (2) अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.04 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010

***9. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा सम्बलपुर, उड़ीसा में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री दत्ता मेघे द्वारा देश में विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा हवाई किराए में तीव्र वृद्धि को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लंबित विभिन्न रेल परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ॰ कृपारानी किल्ली द्वारा पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर रेलवे डिवीजन का विलय दक्षिण मध्य रेलवे के साथ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा यमुना नदी की सफाई के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा देश में विशेष रूप से राजस्थान के गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति श्रेणी के भूमिहीन लोगों को उचित उपागम सड़क सहित उपयोग में न लाई जा रही भूमि का वितरण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और देश के अन्य भागों में कार्यान्वित की जा रही अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत और पुनरुद्धार का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.13 बजे।

- (9) श्रीमती जे० शान्ता द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी में होसा दारौजी और तोरंगल के बीच प्वाइंट 178/5 के० एम० पर बंद पड़े रेलवे क्रासिंग को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती जयश्री बेन के० पटेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर और करमसाद शहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चन्दौली और मिर्जापुर जिलों को देश में नक्सल प्रभावित जिलों के लिए समेकित कार्य योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा देश में सभी बन्द पड़ी उर्वरक यूनियनों को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के खगड़िया और सहरसा जिलों में सड़क परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वालों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं के लिए संशोधित प्राक्कलन मांगे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एम०बी० राजेश द्वारा केरल में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पात्रता मानदंड को कम करने के लिए एमसीआई विनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री चंद्रकांत खैरे द्वारा महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक थट्टे नाहर के आस-पास संरक्षित क्षेत्र मानदंड को स्मारक के निकट रहने वाले स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए शिथिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिंगल विंडो निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री जोस के० मणि द्वारा निजी अस्पतालों में परिचारिका स्टाफ की शिकायतों के निपटान के लिए एक समिति स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.06 बजे

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2010-2011; अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2008-2009

लिया गया समय: 7 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदों पर एक साथ चर्चा की गई—

(एक) वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3 से 7, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 30, 31, 33, 35, 46 से 59, 62, 65, 67, 71 से 74, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 100, 101, 103 और 104;

(दो) वर्ष 2008-09 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 19, 20, 23, 24, 39 और 54

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 1, 3 से 7, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 30, 31, 33, 35, 46 से 59, 62, 65, 67, 71 से 74, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 92, 95, 96, 100, 101, 103 और 104 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) संख्या 19, 20, 23, 24, 39 और 54 (राजस्व लेखा) वर्ष 2008-2009 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची में स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2010

12. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2010

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

13. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2010

14. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2010

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.13 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 2 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुस्वार, 2 दिसम्बर, 2010/11 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 128

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 321—340 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालतें) विनियम, 2009 जो 20 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल/28/09-एनएलएसए में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल/61/10-एनएलएसए में प्रकाशित हुए थे।
- (3) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) संशोधन आदेश, 2009 जो 28 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 786(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) संशोधन आदेश, 2004 जो 12 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 446(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (4) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (5) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2010 जो 26 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 531: लीगल: 710/1(एम)/आई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन), 2010 जो 20 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 848(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 जो 20 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणिं 849(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (9) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) कौटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कौटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) (क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (दो) (क) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (तीन) (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर० एण्ड डी० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर० एण्ड डी० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) फ्लुइड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्लुइड कन्ट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) टॉयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टॉयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

3. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन और मूल्य स्थिति' विषय पर प्राक्कलन समिति के पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 13वां, 14वां और 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

5. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

कुंवर रेवती रमन सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पवन सिंह घाटोवार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों के बारे में 5वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।
- (2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पवन सिंह घाटोवार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन' विषय पर 31वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

- (2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई के बारे में सातवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.05 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्यों के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा किसानों के लाभ के लिए देश में नाशकजीवमार के रूप में एडोसल्फान के उपयोग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री कमल किशोर द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री के०पी० धनपालन द्वारा केरल सहित देश के विभिन्न भागों में 'धर्म' पर आधारित सर्वेक्षण करवाने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं हवाई सेवाओं को सुकर बनाने हेतु मुर्शिदाबाद जिले में एक हवाई पट्टी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) डॉ० बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के रायपुर-विशाखापत्तनम खण्ड के पुननिर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एंटो एंटोनी द्वारा केरल में पम्पा नदी के बेसिन में जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सतपाल महाराज द्वारा आदरणीय संत 'वाल्मीकि' के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों के प्रयोग को हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० राजन सुशान्त द्वारा हिमाचल प्रदेश में विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिसूचना से निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा मध्य प्रदेश में इंदौर-देवास-उज्जैन खण्ड पर रेल लाईन के विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री एंटी० नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाला सीमेंट कारखाना बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा शिक्षकों की संख्या में कमी और शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सुरेश अंगड़ी द्वारा बगदाद असमारा फायरिंग रेंज को कर्नाटक के बेलगाम तालुका के राम दुर्ग और मरिहाल रेजों में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा रोजगार के प्रयोजन के लिए भारतीय शिक्षा परिषद् लखनऊ द्वारा विद्यार्थियों को जारी किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री और डिप्लोमा प्रमाण पत्रों को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के भारतीय मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश के कारण कतर के कारागार में बन्द हैं, को रिहा करवाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री के० सुगुमार द्वारा देश के विभिन्न भागों में नारियलों के परिवहन के लिए तमिलनाडु में पोल्लाची रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त रेल रैक्स प्रदान कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.06 बजे

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)-2010-2011; अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)-2008-2009

लिया गया समय 04 मिनट

निम्नलिखित कार्य की मदों पर एक साथ चर्चा की गई:—

- (1) वर्ष 2010-2011 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16
- (2) वर्ष 2008-2009 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 4 से 8 और 15

अनुदान की अनुपूरक मांग संख्या 16 वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें संख्या 4 से 8 और 15 वर्ष 2008-2009 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची में स्तंभ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2010

12. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2010

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

13. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 2010

14. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 2010

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.10 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2010/12 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 129

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री श्रीकिशन मोदी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने 26 वर्ष पूर्व 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 341-360 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3911-4140 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने यह सूचना दी कि आंध्र प्रदेश के कडापा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री वाई० एस० जगन मोहन रेड्डी का लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 29 नवम्बर, 2010 का एक पत्र उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने 29 नवम्बर, 2010 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

4. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, की 125वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निःशक्ततजन दिवस के अवसर के सम्बन्ध में भी उल्लेख भी किया।

मध्याह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कून्नूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कून्नूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूबल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूबल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सेंटर फॉर विंड इनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंटर फॉर विंड इनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (8) ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स), दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स), दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज, बंगलोर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज, बंगलोर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के 40वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) सिक्कूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्कूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का अर्जन आदेश, 2010 जो 28 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 638(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैंठकें) विनियम, 2010 जो 13 अगस्त, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 32 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2010 जो 28 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/अमेंड/01/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 9 जुलाई, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2010 में प्रकाशित हुए।

- (चार) इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2009 जो 7 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडमिन/02988 में प्रकाशित हुए थे।
- (18) उपर्युक्त (17) की मद संख्या (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले (दो) विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 209 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गुड़गांव ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 17 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या संदर्भ संख्या पीडी/जेन/509/2010 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) प्रथमा बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 21 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 235 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 240 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 4 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचक्यू/एचआरएम/2010-962 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 220 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) जयपुर थार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 22 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 239 में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 210 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) मालवा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 222 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 218 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 234 में प्रकाशित हुए थे।
- (20) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2010 जो 3 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 882(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 864(अ) जो 28 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर मेसर्स वीफैंग हुआडोंग रबर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) और मेसर्स क्विंगदाओ ऑटोकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) द्वारा निर्यात किए जाने पर बस और ट्रक रेडियल टायर के आयात हेतु समुचित सुरक्षा के अधधीन अनंतिम मूल्यांकन का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 872(अ) जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 105/2008-सींशु को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सांकांनि 873(अ) जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली सनसेट समीक्षा जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम फार्मलिडहाइड सल्फॉक्सिलेट के आयात पर 21 जून, 2011 तक जिसमें यह दिन भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (22) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2010 जो 7 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2448(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2009 जो 1 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 2037(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (23) उपर्युक्त (22) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ 2568(अ) जो 16 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशु (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 2657(अ) जो 27 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 2683(अ) जो 29 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना

संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 874(अ) जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 153/2009-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 875(अ) जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय क्रुड पेट्रोलियम ऑयल तथा टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली बिटुमिनस मिनरल से प्राप्त ऑयल को ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत में आयात किए जाने पर आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता के अनुसार 3 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर पर परिकलित राशि से अधिक धनराशि पर लगने वाले सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण में सम्पर्कता, दीर्घावधिक अधिगम और मध्यावधिक मुक्त अधिगम प्रदान किया जाना तथा संबंधित मामले) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 7 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2010 जो 6 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/52/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की संदायगी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/142/157/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु दरें, प्रभार एवं निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 जो 24 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/10/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) (एक) लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त मद संख्या (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) निम्नलिखित केन्द्रों के वर्ष 2009-2010 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे:—
- (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जे० एस० एस० इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च), धारवाड़।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।
- (तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर।
- (चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गांधीग्राम, इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फैमिली वेल्फेयर ट्रस्ट), गांधीग्राम।
- (पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर।
- (छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकॉनॉमिक चेंज), बंगलौर।
- (सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), चंडीगढ़।
- (आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आन्ध्र विश्वविद्यालय), विशाखापट्टनम।
- (नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम।
- (दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी।
- (ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर।
- (बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।

- (तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (महाराजा शयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), बड़ौदरा।
- (चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स), पुणे।
- (पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला।
- (सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पटना विश्वविद्यालय), पटना।
- (सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली।
- (31) उपर्युक्त जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के वर्ष 2009-2010 की समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2038(अ) जो 18 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 अगस्त, 2010 को उक्त अधिनियम की धारा 22 के उपबंध (जेनेटिकली इंजीनियर्ड अथवा संवर्धित खाद्य से संबंधित मामले को छोड़कर) को नियत किया गया है, प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ इक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बोर्ड ऑफ इक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) रांची अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रांची अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को 1 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 1 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

7. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती मौसम नूर ने “अर्धसैनिक बलों में महिलाएं” विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2010-11) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2009-10 और 2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 16 वें और 11वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) शहरी विकास मंत्री की ओर से शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 6 दिसम्बर, 2010 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

10. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको विदित है, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आज अपराह्न 3.30 बजे लिया जाना निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का सभा में चर्चा के लिए चयन बैलट की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अतः यदि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो गैर-सरकारी सदस्यों, जिनके संकल्प आज की कार्य-सूची में शामिल किए गए हैं, को ये अवसर पुनः प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य इस सत्र के दौरान अभी तक नहीं लिया गया है। चूंकि यह सरकारी कार्य नहीं है, इसलिए सभा के सभी वर्गों से मेरी यह अपील है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को सभा के अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने पर जारी रखे जाने की अनुमति दी जाए।”

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.31 बजे

(लोक सभा सोमवार, 6 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2010/15 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 130

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 361—380 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) तत्कालीन-बंबई डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तत्कालीन-बंबई डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगाओ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगाओ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगाओ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगाओ के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (तीन) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (चार) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (9) (एक) सिमेन्स प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे ।
- (दो) सिमेन्स प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (तीन) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (चार) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (11) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (तीन) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (चार) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 7 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 732(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) विशेष आर्थिक जोन (चौथा संशोधन) नियम, 2010 जो 28 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 784(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (18) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली, के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सिमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर सिमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयूज एण्ड एसईजेड्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयूज एण्ड एसईजेड्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):
- (क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड), बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड), बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (25) (एक) सेन्टर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर एयर पॉवर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) नई आईएलओ सिफारिश संख्या 200 (एचआईवी/एड्स) की स्वीकृति और जून, 2010 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 99वें सत्र में स्वीकृत वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2093(अ) जो 21 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा शिक्षुता नियम, 1992 के अंतर्गत स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विषय क्षेत्रों को अभिहित व्यवसायों का पदाभिधान किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (30) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत वर्ष 2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (37) (एक) नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक., नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक., नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) भारत बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उप-धारा (4) के अंतर्गत 13.553-13.567 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में इंडोर अनुप्रयोग हेतु अतिन्यून शक्ति रेडियो फ्रिक्वेंसी उपकरण का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2010 जो 4 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 884(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री की ओर से रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

अपराहन 12.04 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र विशेषकर करीम नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल परियोजनाओं हेतु पर्याप्त निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के पुणे-हैदराबाद खण्ड पर जहीराबाद से संगारेड्डी तक की सड़क को चार लेन बनाए जाने के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (3) श्री एस० एस० रामासुब्बू प्रभाकर द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जलाभाव वाले क्षेत्रों में पीने तथा सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल मुहैया कराए जाने हेतु तमिरापरनी, कडाना नदी, रामा नदी और चित्थर नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एंटो एंटोनी द्वारा देश में पान मसाले के उत्पादन, बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु एक विधान को लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री के० सी० वेणुगोपाल द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा गुजरात में सूरत और बड़ोदरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर झडेशर के निकट “सरदार ब्रिज” को छह लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय के कारण वे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के जो अस्थायी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें नौकरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन और राष्ट्रीय स्वजल धारा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच चल रही “सप्त क्रान्ति एक्सप्रेस” में स्वच्छता संबंधी मानकों को बनाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वालों को आकर्षित करने हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं के लिए मौजूदा बाजार दरों के अनुसार संशोधित प्राक्कलन प्राप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृन्दावन में रह रही विधवाओं और निराश्रितों के लिए केन्द्रीय सहायता से और अधिक आवास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री जोस के० मणि द्वारा समस्त अनिवार्य औषधियों को मूल्य नियंत्रण तंत्र के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2010/16 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 131

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 381—400 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राजवित्तीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्य-वर्षीय विश्लेषण 2010-11 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ० 2145(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, पश्चिम

त्रिपुरा, अगरतला को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (दो) का०आ० 2146(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दीमापुर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का०आ० 2147(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, आइजोल को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का०आ० 2148(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, शिलांग को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (पाँच) का०आ० 2149(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, मणिपुर पूर्व, इम्फाल को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का०आ० 2150(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, यूपिया, इटानगर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (सात) का०आ० 2151(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, (एनडीपीएस अधिनियम), भोपाल को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का०आ० 2152(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा न्याय आयुक्त का न्यायालय, रांची को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का०आ० 2153(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, चंडीगढ़ को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का०आ० 2154(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, मोहाली को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का०आ० 2155(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, पंचकुला को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का०आ० 2156(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला न्यायालय, कावारत्ती को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (तेरह) कांआ० 2157(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायालय, बिलासपुर को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) कांआ० 2158(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-I का न्यायालय, पटना को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) कांआ० 2159(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला और सत्र न्यायालय, शिमला को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (सोलह) कांआ० 2160(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माननीय डॉ० सोनम वांग्डी लेपचा, जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला और सत्र न्यायालय (विशेष प्रभाग-I), गंगटोक को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) कांआ० 2161(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा IV अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश- सह-XVIII अपर मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (अठारह) कांआ० 2162(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रधान जिला और सत्र न्यायालय, पुदुचेरी को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1)

के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (उन्नीस) कांआ० 2163(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बम ब्लास्ट कोर्ट, चेन्नई को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (बीस) कांआ० 2164(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माननीय श्री यू०सी० ध्यानी, जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला और सत्र न्यायालय, देहरादून को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (इक्कीस) कांआ० 2165(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और श्रीनगर में टाडा/पोटा के अधीन अभिहित न्यायालयों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- (बाईस) कांआ० 2166(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री एस०बी० फारिया, अधिवक्ता को विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित मामलों, अपीलों, पुनरीक्षणों या मामले के कारण उत्पन्न अन्य विषयों का गोवा राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (तेईस) कांआ० 2167(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सुश्री रोहिणी सालियान, अधिवक्ता, बम्बई उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित मामलों, अपीलों, पुनरीक्षणों या मामले के कारण उत्पन्न अन्य विषयों का महाराष्ट्र राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- (चौबीस) कांआ० 2168(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री डी०के० दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, गुवाहाटी उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित मामलों, अपीलों, पुनरीक्षणों या मामले के कारण उत्पन्न अन्य विषयों का असम राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (पच्चीस) कांआ० 2169(अ) जो 1 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सर्वश्री के०एन० रविन्द्रन और एम० अजय, अधिवक्ताओं को विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित मामलों, अपीलों, पुनरीक्षणों या मामले के कारण उत्पन्न अन्य विषयों का केरल राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (8) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सब-इंस्पेक्टर (लिपिकवर्गीय), इंस्पेक्टर (लिपिकवर्गीय) और सूबेदार मेजर (लिपिकवर्गीय) भर्ती नियम, 2010 जो 29 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 868(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9)(एक) रेपको बैंक, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेपको बैंक, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशुचिकित्सा संवर्ग समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010, जो 22 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 853(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशुचिकित्सा संवर्ग (समूह 'ख' पद) हिन्दी अनुवादक भर्ती नियम, 2010, जो 2 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक सब-इंस्पेक्टर (स्टेनोग्राफर), समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2010, जो 12 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 907(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (13) (एक) कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) वॉयस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वॉयस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 887(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(एक) का०आ० 2788(अ) जो 16 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का०आ० 2789(अ) जो 16 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तीन) का०आ० 580(अ) जो 11 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (मोराबाजार- खलोइघुटी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का०आ० 996(अ) जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबारी- बिजनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का०आ० 998(अ) जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 236 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन कलक्टर, (दक्षिण-पश्चिम), दिल्ली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(छह) का०आ० 999(अ) जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 236 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट/भूमि अर्जन कलक्टर, (दक्षिण- पश्चिम), दिल्ली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

- (सात) कांआ० 1533(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 236 (अंधेरिया मोड़ से दिल्ली/हरियाणा सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) कांआ० 2459(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (बरेली-सीतापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) कांआ० 2466(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (वाराणसी-औरंगाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) कांआ० 2255(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (भुवनेश्वर-उत्तरा सासन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) कांआ० 1813(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर और भुवनेश्वर-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बारह) कांआ० 1544(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) कांआ० 1959(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (मालीबराही-सिरियापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौदह) कांआ० 2079(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (कविराजपुर-बिरागोविन्दपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंद्रह) कांआ० 1541(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (लिंगीपुर-सरदेईपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सोलह) कांआ० 2273(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (डोलागोविन्दपुर-मालतीपटपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) कांआ० 2245(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या कांआ० 1293(अ) का शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) दिया गया है।
- (अठारह) कांआ० 2254(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 13 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या कांआ० 1310(अ) का शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) दिया गया है।
- (उन्नीस) कांआ० 2385(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 23 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या कांआ० 1813(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (बीस) कांआ० 2247(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (उत्तरसासन-मालतीपटपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) कांआ० 2266(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-रिमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बाईस) का०आ० 1808(अ) जो 23 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (भुवनेश्वर-उत्तरसासन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 2244(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (बीरप्रतापपुर-समजाजपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 2308(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4क (बेलगाम-गोवा/कर्नाटक सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 2370(अ) जो 14 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 840(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का०आ० 2215(अ) जो 9 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 1874(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 1724(अ) का०आ० 1725(अ) और का०आ० 1726(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बीजापुर-हुंगुंड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 2220(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (मोराबाज़ार-

खलोईघुगुटी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तीस) का०आ० 1643(अ) जो 12 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (मेघालय/असम सीमा से त्रिपुरा/असम सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकत्तीस) का०आ० 1870(अ) जो 30 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 1051(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबाड़ी-बिजनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतीस) का०आ० 2053(अ) जो 23 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौत्तीस) का०आ० 2081(अ) जो 26 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बिजनी-नलबाड़ी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 1714(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 1715(अ) जो 19 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सैंतीस) का०आ० 1932(अ) जो 9 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूतानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 1961(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेंगापल्ली-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 2221(अ) जो 10 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंदुरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चालीस) का०आ० 2309(अ) जो 17 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 2461(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूतानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 2537(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पुदुचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैंतालीस) का०आ० 1962(अ) जो 11 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1813(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चवालीस) का०आ० 2249(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-

उलुंदुरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पैतालीस) कांआ० 2380(अ) जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर चेन्नई पोर्ट से मदुरावोया तक नए चार लेन वाले एलिवेटेड मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियालीस) कांआ० 2555(अ) जो 13 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुत्तानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतालीस) कांआ० 2621(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट और पठानकोट-जम्मू खण्डों) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) कांआ० 2622(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनचास) कांआ० 2623(अ) और कांआ० 262(अ) जो 5 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (मुकेरियां-पठानकोट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) कांआ० 2108(अ) जो 30 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 14 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या कांआ० 3198(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कावन) कांआ० 2533(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बावन) का०आ० 2825(अ) जो 23 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (रायगढ़-सरायपल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (तिरपन) का०आ० 1540(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 955(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (चौवन) का०आ० 2536(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरानाला से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र राज्य सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 2460(अ) जो 8 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-राजमार्ग क्रासिंग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 2538(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-राजमार्ग क्रासिंग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तावन) का०आ० 2743 (अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (डिजाईन चेनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का०आ० 2691(अ) जो 1 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1701(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनसठ) का०आ० 2251(अ) जो 13 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-

गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (साठ) कांआ० 2534(अ) जो 12 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) कांआ० 2620(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बासठ) कांआ० 2632(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहिसर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) कांआ० 2594(अ) जो 19 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिकारियों को गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (चौसठ) कांआ० 2612(अ) जो 22 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंसठ) कांआ० 2614(अ) और कांआ० 2615(अ) जो 25 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (21) उपर्युक्त (20) की मद संख्या (तीन), (चार), (तीस), (इकतीस) और (बत्तीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:

- (एक) कि राज्य सभा को 2 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि राज्य सभा को 2 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 2010 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री वी० किशोर चंद्र एस० देव ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

5. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित “कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन” के बारे में पैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।
- (2) कोयला मंत्रालय की “अनुदानों की मांगों (2009-10)” के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।
- (3) खान मंत्रालय की “अनुदानों की मांगों (2009-10)” के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

- (4) इस्पात मंत्रालय की “अनुदानों की मांगों (2009-10)” के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) खान मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010

अपराहन 12.04 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाये जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ॰ (श्रीमती) कृपारानी किल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मछुआरों के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी उपाय आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण नियंत्रक युक्तियां संस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ॰ चरण दास महन्त द्वारा छत्तीसगढ़ में मलेरिया का फैलाव रोकने तथा राज्य में लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी॰ बलराम नाईक द्वारा आंध्र प्रदेश में महबूबाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भद्राचलम और वारंगल में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में और अधिक जातियों/जनजातियों को शामिल किए जाने से रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निरंतर गिरते हुए जल-स्तर को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री नारनभाई कछाड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले में बागमती सिंचाई परियोजना स्थापित किए जाने के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री महेन्द्र सिंह पी॰ चौहान द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य को बढ़ावा देने हेतु वन विधि में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल द्वारा गुजरात में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापन के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री रामकिशुन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में गंगा नदी द्वारा भूमि कटाव मृदा को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा पुणे महाराष्ट्र में फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट का निजीकरण करने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) डॉ संजीव गणेश नाईक द्वारा ग्रेटर मुंबई नगर निगम को या तो संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य अथवा उनके बाजार दर के आधार पर संपत्ति कर लगाए जाने हेतु सक्षम बनाने के लिए बम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री सी० शिवासामी द्वारा मंगलौर एक्सप्रेस (ट्रेन सं० 6107) और टी गार्डेन एक्सप्रेस (ट्रेन सं० 6865) में एसएलआर कोच के स्थान पर वीपीयू कोच लगाए जाने तथा तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में उथुकूल्ली में टी गार्डेन एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर के समीप फलाईओवर परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के बलूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री ए० गणेशमूर्ति द्वारा तमिलनाडु में इरोड और पलनी के बीच नई रेल लाईन बिछाने के लिए जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है, उन्हें वर्तमान बाजार दर के अनुसार प्रतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा बुधवार, 8 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वनाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 दिसम्बर, 2010/17 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 132

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने तमिलनाडु राज्य में भारी वर्षा के कारण 170 लोगों की मृत्यु तथा हजारों अन्य व्यक्तियों के विस्थापित होने के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने वाराणसी में शीतला घाट पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले जिसमें बम विस्फोट के कारण एक शिशु की मृत्यु हो गई तथा 39 लोग घायल हो गए, के बारे में भी उल्लेख किया।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 401—420 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4601—4830 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) संशोधन नियम, 2010 जो 13 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1995(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, संभलाई और सीमापार संचलन) चौथा संशोधन नियम, 2010 जो 13 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1996 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बैटरी (प्रबंधन, और संभलाई) संशोधन नियम, 2010 जो 4 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1002(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (16) (एक) नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल एट्मास्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एट्मास्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार के द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) माध्यस्थता बोर्ड के अधिनिर्णय-1995 का सीए संदर्भ 6 जो रात्रि ड्यूटी भत्ते की पात्रता के लिए 2199/- रु प्रतिमाह (चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार) की अधिकतम वेतन सीमा को हटाए जाने के बारे में है, के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2010 जो 29 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 788(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंसेज म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंसेज म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली, चंडीगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कर्नाटक महिला समाख्या सोसाइटी, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकत्ता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकत्ता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, रांची के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, रांची के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1975 की धारा 34 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकागन् 58(अ) जो 4 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित पाँच व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् में विजिटर के नामिती के रूप में किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वैपकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैपकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (51) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (52) उपर्युक्त मद संख्या (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (53) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री इन्दर सिंह नामधारी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के संबंध में 'शीरा का उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) अनुदानों की मांगों (2008-09) (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के संबंध में 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) (2007-08) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वें प्रतिवेदन के बारे में की-गई-कार्यवाही विवरण।
- (2) अनुदानों की मांगों (2008-09) (उर्वरक विभाग) के संबंध में 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) (2007-08) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वें प्रतिवेदन (2008-09) के बारे में की-गई-कार्यवाही विवरण।
- (3) “सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में उर्वरक उद्योग का कार्यनिष्पादन” के संबंध में 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) (2008-09) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (2009-10) के बारे में की-गई-कार्यवाही विवरण।
- (4) अनुदानों की मांगों (2009-10) (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के संबंध में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वें प्रतिवेदन (2009-10) के बारे में की-गई-कार्यवाही विवरण।
- (5) अनुदानों की मांगों (2009-10) (भेषज विभाग) के संबंध में पहले प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 12वें प्रतिवेदन (2009-10) के बारे में की-गई-कार्यवाही विवरण।

- (6) अनुदानों की मांगों (2009-10) (उर्वरक विभाग) के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वें प्रतिवेदन (2009-10) के बारे में की-गई-कार्यवाही विवरण।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एम०आई० शानवास द्वारा शराब के अंतरराज्यीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए अन्य राज्यों से केरल में स्पीट की तस्करी को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को धनराशि का आबंटन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्षद्वीप में मछुआरों के लिए हार्ड-स्पीड डीजल पर सब्सिडी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा देश में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री आरंध्युवनारायण द्वारा देश में रेशम कीट पालन के संवर्धन, अनुसंधान और विकास हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मानिक टैगोर द्वारा देश में घरेलू नौकर और कामगारों के कल्याण हेतु विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल तथा सिंचाई के प्रयोजनार्थ नर्मदा परियोजना से जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री के०पी० धनपालन द्वारा केरल में पम्पा तथा अन्य नदी बेसिन की जैव-विविधता के संरक्षण हेतु कोई कार्य योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न मच्छर जनित रोगों के प्रसार को रोकने के लिए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट का एक दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों द्वारा निर्मित कुएं में गिर कर मरने वाली लड़कियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की मोबाइल सेवाओं में सुधार किए जाने तथा निजी मोबाइल ऑपरेटरों की मोबाइल सेवा की गुणवत्ता तथा टैरिफ प्लान की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में संथाल परगना के छह जिलों के चतुर्दिक विकास हेतु लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रवण जिलों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में जान-माल की क्षति कम करने के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री यशवंत लागुरी द्वारा देश में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के माध्यम से नक्सलवाद के प्रसार को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 9 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 9 दिसम्बर, 2010/18 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 133

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 421—440 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4831—5060 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —
- (क) (एक) नेशनल टेक्सटाईल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल टेक्सटाईल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डिक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डिक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) शेयर बाजार घोटाला और उससे संबद्ध मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही के बारे में 15वें प्रगति प्रतिवेदन दिसम्बर, 2010, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ड) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

3. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*4. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) के निम्नलिखित की-गर्इ-कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

*अपराहन 12.03 बजे

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 12वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 13वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

5. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती दीपा दासमुंशी ने संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 212वें और 215वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-2011) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(दो) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.04 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एम० के० राघवन द्वारा भारत-खाड़ी क्षेत्र से वापस ली गई एयर इंडिया की उड़ानों को फिर से चालू किए जाने तथा दिल्ली-बंगलुरु उड़ान को केरल के कालीकट तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री कमल किशोर द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मार्क-II हैडपंप लगाए जाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री राजैया सिरिसिल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काजीपेट में रेल वैगन फौकटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० संजय सिंह द्वारा पेयजल परियोजनाओं के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि बढ़ाए जाने तथा संसद सदस्यों द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० चार्ल्स डिएस द्वारा केरल में मछुआरों के लिए कैरोसिन तेल का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और बाराबंकी जिलों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (7) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के गुमला और लोहरदगा जिले में वन आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राकेश सिंह द्वारा देश में खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री नीरज शेखर द्वारा उत्तर प्रदेश में बलिया जिला स्थित को-ऑपरेटिव सोसायटी से किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती अश्वमेध देवी द्वारा आर्थिक रूप से निर्धन परिवार की लड़कियों को निःशुल्क उच्चतर और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु में वर्षा और बाढ़ प्रभावित लोगों के शीघ्र पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री टी० आर० बालू द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल किए गए अस्पतालों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सीवान जिले में पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.04 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2010/19 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 134

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने चौथी लोक सभा के सदस्य श्री मेघराजजी और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री एम० राजशेखर मूर्ति के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रत्याशित वर्षा जिसके कारण 14 लोग मारे गए और हजारों अन्य लोग विस्थापित हुए, के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 441—460 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5061—5290 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पर रखे गए:—

- (1) प्रतीचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) प्रतीचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए वित्त संबंधी सूचना दिये जाने के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2010-11 का संख्यांक 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
(एक) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) सेन्ट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (10) सेन्ट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर) (2010-11 का संख्यांक 18)—मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अप्रवासियों को संदाय का कराधान।
- (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2010-11 का संख्यांक 20) स्वायत्त निकाय—मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (15) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (चार) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भांडागारण (विकास और विनियामक प्राधिकरण) लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 888(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उद्देश्यों और कारणों सहित उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।
- (दो) भांडागारण (विकास और विनियामक) प्राधिकरण-वित्तीय प्रबंधकीय शक्तियां नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 889(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उद्देश्यों और कारणों सहित उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।
- (तीन) भांडागारण (विकास और विनियामक) प्रत्यायन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 890(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उद्देश्यों और कारणों सहित उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।
- (चार) भांडागारण (विकास और विनियामक) अपीलीय प्राधिकरण प्रक्रिया नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 891(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उद्देश्यों और कारणों सहित उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।
- (पांच) भांडागारण (विकास और विनियामक) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 892(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उद्देश्यों और कारणों सहित उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।
- (छह) भांडागारण (विकास और विनियामक) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 893(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उद्देश्यों और कारणों सहित उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(सात) भांडागारण (विकास और विनियामक) प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन और प्रतिलाभ नियम, 2010 जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 894(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उद्देश्यों और कारणों सहित उन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी।

- (18) उपर्युक्त मद संख्या (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) केंद्रीय भांडागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय भांडागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने और उसे जारी करने की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 जो 1 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/12/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनियमन) विनियम, 2010 जो 30 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 जो 20 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीईए/टीईटीडी/एमपी/आर/01/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(24) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 जो 7 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-12/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग) विनियम, 2010 जो 31 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-13/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(25) उपर्युक्त (24) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलाँग के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलाँग का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (27) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (28) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत एनटीपीसी लिमिटेड क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम परियोजना प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2010-11 का संख्यांक 22) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुडगांव के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उपधारा (3) के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2010, जो 9 अक्टूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 178 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) न्यू देहली ट्यूबरक्लोसिस सेन्टर, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) न्यू देहली ट्यूबरक्लोसिस सेन्टर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड (पूर्व में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड), तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड (पूर्व में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड), तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (36) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 तथा उसमें उल्लिखित 31 अन्य संस्थाओं के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—
- (एक) डॉ॰ अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, कोलकाता।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, कटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, शिमला।
- (चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, मुंबई।
- (पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

- (छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, जयपुर।
- (सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।
- (आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, गोवा।
- (नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।
- (दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, लखनऊ।
- (ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।
- (बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, भोपाल।
- (तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।
- (चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।
- (पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, बंगलौर।
- (सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, हाजीपुर।
- (सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, चेन्नई।
- (अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग न्यूट्रिशन (सोसायटी), गुरुदासपुर।
- (उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लायड न्यूट्रिशन, शिलाँग।
- (38) उपर्युक्त संस्थाओं के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) (एक) समीर (सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च), मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समीर (सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च), मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) सेन्टर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नालॉजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) डीओईएसीसी सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डीओईएसीसी सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आई० टी० आई० लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आई० टी० आई० लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5. अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:-

- | | | |
|------------------------|--|---------------------------|
| (1) श्री बलीराम कश्यप | 26.07.2010 से 31.08.2010 तक
और
09.11.2010 से 30.11.2010 तक | अनुपस्थिति की माफी दी गई। |
| (2) श्री कामेश्वर बैठा | 25.02.2010 से 16.03.2010 तक
15.04.2010 से 07.05.2010 तक
और
26.07.2010 से 31.08.2010 तक
09.11.2010 से 26.11.2010 तक | |
| (3) श्रीमती कैसर जहां | 9.11.2010 से 24.11.2010 तक | |

अपराह्न 12.04 बजे

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री इंदर सिंह नामधारी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान दसवीं से बारहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

डॉ० बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 8 दिसम्बर, 2010 को हुई तीसरी बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन चरण सेठी ने “वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी विषय” के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० चार्ल्स डिएस ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ‘प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010’ के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2010-2011) का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० चार्ल्स डिएस ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) डाक विभाग की ‘अनुदानों की मांगों (2003-04)’ के संबंध में समिति के 48वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 62वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

- (2) डाक विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के संबंध में समिति के 56वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 66वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) दूरसंचार विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के संबंध में समिति के 57वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 64वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।
- (4) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2004-05)' के संबंध में समिति के पहले प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 11वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।
- (5) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के संबंध में समिति के 46वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 54वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।
- (6) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक) के कार्यकरण' के संबंध में समिति के 49वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 61वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।
- (7) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के संबंध में समिति के 58वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 65वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में

अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

- (8) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 'कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएसएस)' के संबंध में समिति के 52वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।
- (9) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-08)' के संबंध में समिति के 43वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 51वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।
- (10) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2008-09)' के संबंध में समिति के 55वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिश पर की-गई-कार्यवाही के बारे में 63वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

11. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने 'वर्ष 2010-11 की अनुदानों की मांगों के संबंध में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भक्त चरण दास ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्त सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 27वां प्रतिवेदन।
- (3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 28वां प्रतिवेदन।
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 29वां प्रतिवेदन।
- (5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
 - (एक) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रसायन और पेट्रोसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने' के बारे में परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने 'जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाना' के बारे में डॉ॰ विवेकानन्द, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3107 के 29 नवम्बर, 2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.08 बजे

14. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों, विधेयकों से संबंधित गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आज अपराहन 3.30 बजे लिया जाना निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं, चर्चा के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का चयन बैलट की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यदि विधेयकों को चर्चा के लिए आज नहीं लिया जाता है, तो उनका फिर से बैलट कराना होगा। चूंकि पूरे सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों का कोई भी कार्य नहीं लिया गया है और इसके लिए आज का ही अंतिम दिन उपलब्ध है, मैं सभा के सभी सदस्यों से अपील करती हूँ कि वे अपराहन 3.30 बजे सभा के पुनः समवेत होने पर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य होने दें।”

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.30 बजे

15. प्रस्ताव

डॉ० महेश जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 8 दिसम्बर, 2010 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 12वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.34 बजे

(लोक सभा सोमवार, 13 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2010/22 अग्रहायण, 1932 (शक)

संख्या 135

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 9वीं बरसी पर उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्य उन सुरक्षाकर्मियों, जिन्होंने आतंकी हमले को नाकाम करने में अपने जीवन की आहुति दे दी, की स्मृति में और उनके सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 461—480 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5291—5520 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यों, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लोक सभा की भीतरी लॉबी में सदस्यों के उपयोग हेतु इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है। सदस्य बजट सत्र से नियमित रूप से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।”

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से 12 दिसम्बर, 2010 को हांगकांग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में चौथी बड़ी इंटरनेशनल टाईटल जीतने पर सायना नेहवाल को बधाई दी।

अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पर रखे गए:—

- (1) इंडियन मेरिटार्इम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) इंडियन मेरिटार्इम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) इंडियन मेरिटार्इम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अंतर्गत कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इलाहाबाद के जुलाई, 2007 से जून, 2008 तक की अवधि के लिए 46वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (6) (एक) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (7) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप खंड (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2851(अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी, अप्रवास ब्यूरो, हरिदासपुर को पश्चिम बंगाल राज्य में उत्तरी चौबीस परगना जिले के अंतर्गत आने वाले हरिदासपुर में स्थित आप्रवास जॉच चौकी के लिए उक्त आदेश के परियोजनार्थ 1 दिसम्बर, 2010 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (9) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, गाँधी नगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, गाँधी नगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (18) (एक) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतियन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल तिब्बतियन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) सेन्ट्रल तिब्बतियन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2009-2010 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) दूसरा संशोधन विनियम, 2010 जो 26 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 51-1/2009/एनसीटीई (एन एण्ड एस) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2278(अ) जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 सितम्बर, 2010 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (33) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (35) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(37) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(38) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :—

- (1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 213वां प्रतिवेदन।
- (2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 214वां प्रतिवेदन।
- (3) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 215वां प्रतिवेदन।

- (4) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 216वां प्रतिवेदन।
- (5) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 217वां प्रतिवेदन।
- (6) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 218वां प्रतिवेदन।
- (7) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में समिति के 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 219वां प्रतिवेदन।
- (8) वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010 के बारे में 220वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 94वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम, 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में खेती के लिए अनुपयुक्त ठहराए गए कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु राजस्थान सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री एस० एस० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कोलाचल पत्तन पर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० क्रुपारानी किल्ली द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खाद्यान्न भंडारण सुविधा बढ़ाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा केरल में अंतर्राज्यीय लॉटरी व्यवसाय में कथित तौर पर की जाने वाली अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य द्वारा सिलचर से गुवाहाटी तक एयर बस सेवा शुरू किए जाने तथा सिलचर से कोलकाता तक की एयर बस उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयानगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआई के औषधालय को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में सीटों के आबंटन में एकरूपता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० पन्ना लाल पुनिया द्वारा 14 अप्रैल को पड़ने वाले डॉ० भीमराव अम्बेडकर की वर्षगांठ को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ० राजन सुशान्त द्वारा हिमाचल प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने तथा इसकी वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य को दी जाने वाली विशेष योजना सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा इंदौर से अजमेर और उदयपुर के लिए नियमित रेल सेवा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चान्दला-मटौढ़ और रामपुर घाट-कंडेला रोड के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ० शफीकुर्हमान बर्क द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में फलगू नदी बैराज से उद्भूत जल-नहरों की मरम्मत किए जाने और गाद निकाले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डीपीआर को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के धरमपुरी में आयकर कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री ओ० एस० मणियन द्वारा तमिलनाडु के पापनाशम में कंबन एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के बलुआरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दक्षिण दिनाजपुर में एक इंजीनियरी कॉलेज और एक पॉलीटेक्निक खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अपराहन 12.07 बजे

(लोक सभा अपराहन 12.07 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।